میں بھی ہمیں یہی آواز ملتی ہے اگر دنیا میں اطمینان سے شانتی کی لہریں پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس بات کو یاد رکھو کہ دنیا میں اس وقت تک اطمینان اور شانتی کی لہریں پیدا نہیں ہو سکتیں جب تک حقداروں کے حق ایمانداری کے ساتھ نہ دیے جائیں۔ آج ایک ایسے طبقے کے بارے کی بات پارلیمنٹ میں اٹھی ہے۔ جس کو دلت عیسائی طبقہ کہا جاتا ہے۔ دلت عیسائی طبقے کو حق دینے کے لیے۔ اس کے لیے رورویش بحالی کے لیے پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے پہلے آپ نے رورویشن بحال نہ کیا ہو۔

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—contd.

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अब राष्ट्रपति जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी।

इस में भी मौलाना, ओबैदुल्ला खान आजमी साहब बोलेंगे।

श्री हेच० हनुममतप्पा (कर्नाटक) : आपकी उर्दू बहत कठिन है।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश): मैंने तो बार बार इस हाऊस में गुजारिश की है, चेयरमैन साहब से भी यह कहा था, हमारे आज के मौजूदा प्रेजीडेंट और कल के हमारे.....।

श्री हेच० हनुमनतप्पा : मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ी आसान उर्दू बोलिये।

کہ نوکر کو برابری میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ نوکر کو ایک ساتھ میں کھانا نہیں دیں گے۔ دلت اور بیک ورڈ کلاس لوگوں کو بنا کر چھوا چھات کا راستہ کچھ لوگوں نے نکالا تھا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان تھے عرب کے جنہوں نے اس چھوا چھات کو توڑا۔ جنہوں نے دلتوں کو اپنے ساتھ جوڑا۔ جنہوں نے لوگوں کو اپنا کھانا کھلایا۔ اپنے ساتھ بٹھایا۔ جنہوں نے لوگوں کا جھوٹا کھایا۔ جنہوں نے کہا تھا کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ ہر انسان آدم کی اولاد ہے آدمی مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ آدمی اگر بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے کام کے ذریعے بڑا ہوتا ہے۔ انسان اگر بڑا ہوتا ہے تو مانوتا کے رسپیکٹ کی بنیاد پر بڑا ہوتا ہے۔ انسان اگر رسپیکٹیڈ ہوتا ہے تو خدا سے ڈرتے ہوئے خدا کا دھرتی پر مانوتا۔ انسانوں اور خدا کا نمائندہ انسان کہلاتا ہے اس کے ساتھ سماجک نیائے کا راستہ ڈھونڈنے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں حضرت عیسیٰ کا بھی یہی حال تھا۔ رام چندر جی اور کرشن چندر جی کی وانیوں

मौलाना अबैदुल्ला खान आज़मी : मैं आसान उर्दू ही बोलता हूं। मेरी जो रोज़मर्रा की लैंग्वेज है, मैं वही बोल रहा हूं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ताबिशे खंजरे अहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं, वह मुझे मजरूह नज़र आ रही हैं और साज़े हस्ती से जितनी भी आवाज़ें निशात उठ रही हैं, वह बारे नाकामियतमय हम से दबती जा रही हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि सोजशे दर्दो अलम दिल पे मेरे मुसल्लत है, जैसे शामे गुरबत के अलमनाक नज़ारे टपक रहे हों और शबे दहजूर से खून के आसू गिर रहे हों। मैं नो उर्दू तो नहीं बोल रहा हूं। मैं तो सिर्फ टूटी फूटी और हिन्दी. . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : इससे आपके बोलने के समय में कमी हो रही है।

मौलाना अबैदुल्ला खान आज़मी : इसलिए मैं आप हजरात की भी मदद चाहता हूं और आप लोगों के ज़रिये चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि उर्दू का इंटरप्रेटर हमें दिया जाए। जो हमारे हिन्दी के इंटरप्रेटर हैं, वह हजरात भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी बात सही तरीके तक आपको पहुंचा दें इसके बावजूद अगर सही तरीके से नहीं पहुंच पाती तो हमारे हिन्दी के इंटरप्रेटर की कोई कमी नहीं है बल्कि उर्दू के इंटरप्रेटर के न होने की वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे उम्मीद है इस सेशन में हमें उर्दू मोहतरकीन मिल जाएगा ताकि हम अपनी बातें आसानी से आप तक पहुंचा सकें।

सदरे मोहतरम, प्रेजीडेंशियल एड्रेस पर बोलते हुए मैंने यह अर्ज़ किया था कि हिन्दुस्तान के अज़ीम शायर मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि

बाज़ी क्या इकबाल है दुनिया मेरे आगे,
होता है शबोरोज़ तमाशा मेरे आगे।

इसी शबोरोज़ के तमाशे के पसमंजर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी कुव्वते हाफ़िजा रिसाकत कर रहा है, आज तक सदरे जम्हूरिया की तकरीर इतनी मुख्तसर और सतही हमें कभी देखने को नहीं मिली। सदर की तकरीर का मतलब क्या होता है? साल भर तक जिन्दगी के हर शोबे में हकूमत कौन कौन से ठोस इकदामात करने जा रही है उसका एलान और गुजरे हुए साल में क्या कुछ हुआ उसका तज़करा करते हुए उस पर हकूमत ने क्या क्या कामयाबियां हासिल की, इसके पसमंजर को सदारती खुतबे में पेश किया जाता है। सदर का खुतबा देखने के बाद सोचता हूं कि पीटूं या रोऊं जिगर को मैं। अगर कोई वज़ीर यही तकरीर करता तो यकीन किया भी जा सकता था और नहीं भी। मगर जब सदरे जम्हूरिया खुद खिताब करे तो फिर यह खिताब सारी कौम को मुकम्मल एतमाद बख्शता है कि जो कुछ कहा जा रहा है वह सब सही है। मगर इस खुतबा-ए-सदारत को पढ़ने के बाद मैं साफ तौर पर यह महसूस करता हूं कि अल्फाज़ की शोबदाकारी के ज़रिये मुल्क के आवाम के साथ हकूमते हिन्द अपनी पुरानी रस्म को जिन्दा रखते हुए पुरफरेब मज़ाक करने पर तुली हुई है। मिर्ज़ा गालिब ने शायद ऐसे ही हुक्मरानों के लिए कहा था कि--

हैं क्वाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ,
देते हैं धोखा, यह बाजीगर खुला।

सदरे मोहतरम, अब मैं दो तीन मिसालें देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि सरकार की कथनी और करनी में क्या बुनियादी फर्क है। सदर के खुतबा-ए-सदारत के पैराग्राफ नम्बर तीन में यह कहा गया है कि मुल्क में अमन और कानून की हालत सुधर गई है और मिसाल के तौर पर पिछले दिनों जिन पांच रियासतों में इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन का हवाला दिया गया : अगर बम्बई, सूरत, कानपुर का हादसा और दिल्ली में खुद कांग्रेस के हैड आफिस पर बम का धमाका, यही सारी चीजें हालात के सुधरने की दलील है तब तो हमारी हकूमत वाकई कानून की बहाली पर हमारी मुबारकबाद की मुस्तहक है। अगर मासूमों की जबान गोली और बन्दूक से बन्द कर देने का नाम कानून की बहाली, है, अगर हकदारों के हकूक को पामाल

करने देने का नाम कानून की बहाली है तो मुझे यह कहने में कोई शक नहीं है कि हकूमते हिन्द कानून को बहाल करने में कामयाब हुई है। ला एण्ड आर्डर किसलिए होता है। कानून किसके ऊपर नाफिज होता है। कानून, कानूनी हकूमत के मानने वाले इन्सानों पर नाफिज होता है। मगर इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि कानूनी हकूमत का कानून मानने वाले सिर्फ मुल्क के अवाम ही नहीं होते कानूनी हकूमत के कानून के मानने की जिम्मेदारी कानून लागू करने वाले अफसरों पर भी होती है। कानूनी हकूमत के कानून का नफिज सिर्फ अवाम पर नहीं होता है। पुलिस की वर्दी पहनने वाले जिम्मेदारों पर भी होता है। बम्बई में बेशुमार लोगों की अन्धाधुंध गिरफ्तारियां हुई हैं और हो रही हैं। मुजरिमों की गिरफ्तारी और मुजरिमों की सजा में किसी तरह की कोई ढील नहीं देनी चाहिए, कोई नर्मी नहीं बरती जानी चाहिए। इसलिए कि अगर मुजरिम को जुर्म की करारे वाकई सजा न दी जाये तो मुल्क में कानून की बहाली का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मगर जो लोग मुजरिम नहीं, जिन लोगों को पुलिस सिर्फ माल खड़ा लेने के लिए गिरफ्तार करती है और जिन लोगों को टाडा में सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इनके घर वालों को यरगमाल किया जाये, इनको एक्सप्लायटेशन करके इनसे पैसे कमाये जायं, रिश्वत ली जाय, जिस बिजिनेस मैन को सिर्फ उनसे लाख दो लाख लूटने के लिए, करोड़पतियों को बेइज्जत करने के लिए थानों में बुलाकर रोजाना बैठाया जाता है और उनकी परेड करवायी जाती है—क्या यह कानून का मजाक नहीं है। क्या यही कानून की बहाली का रास्ता है। इस कानून की बहाली का निफाज मुल्क के अवाम अपने आप करते हैं। हमारे हिन्दुस्तान की जनता काबिले मुबारकबाद है कि ला एण्ड आर्डर को मेन्टेन करने के लिए इस मुल्क के अवाम ने हमेशा हुकूमतों का सहयोग किया है। इस मुल्क का अवाम कभी बगावत नहीं करता, इस मुल्क के अवाम के साथ हुकूमतें धोखा करती हैं, इस मुल्क के अवाम के साथ जो वादे किये जाते हैं, वे पूरे नहीं किये जाते हैं, इस मुल्क के अवाम से कहा जाता है कि सौ दिन में कीमतों में गिरावट आ जायेगी, गिरानी कम हो जायेगी, मगर रोजाना गिरानी आसमान को छू रही है। इन्कम बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। मगर धन्य है इस मुल्क का अवाम, काबिले मुबारकबाद है इस मुल्क की जनता कि इसके बावजूद भी बगावत नहीं करती, इसके बावजूद भी वह हुकूमतों का ऐवान नहीं जलाती, इसके बावजूद मंत्रियों की गाड़ी नहीं फूंकती, इसके बावजूद वह हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी बवाल का शिकार नहीं बनती। तो ला एण्ड आर्डर हमारी जनता मेन्टेन करती है। हुकूमत ने क्या ला एण्ड आर्डर मेन्टेन किया है, मैं आपको बताऊं। हुकमत के अधिकारी क्या ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करते हैं, मैं बताऊं आपको। यहां ला एण्ड आर्डर इस तरह से मेन्टेन होता है कि आज ही के अखबार को उठाकर पढ़िए—"टाइम्स आफ इंडिया"। आज के अखबार में है कि जनाब गिल साहब जो डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस पंजाब हैं वे आसाम गये हुए थे। आसाम में जाकर उन्होंने कहा कि राजीव जी ने जो आसाम मुहायदा किया था वह मुहायदा उनको नहीं करना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह से चलेगा। सरकारी पालिसियों की निन्दा इस तरह से इतने बड़े ओहदेदार जब करेंगे तो यह ला एण्ड आर्डर को मेन्टेन करने की बात है। ला एण्ड आर्डर के साथ यह खिलवाड़ करने की बात है। साथ साथ राजस्थान में टाडा के नाम पर—यह टाडा, यह काला कानून—यह सरकारी दहशतगर्दी का हथियार है और सरकारी दहशतगर्दी के काम भी टाडा के जरिये किये जाते हैं। जिस बाइज्जत आदमी की इज्जत लूटनी हो टाडा लगा दीजिए, जिस शरीफुलनफ्स आदमी के साथ खिलवाड़ करना हो, टाडा के कानून के जरिए उसकी जिन्दगी की, उसकी जात, उसकी आसो औलाद में, उसके घर वालों से खिलवाड़ कीजिए।

तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह टाडा गरीबों पर कितना ज्यादा जालिम बन कर खड़ा हुआ है और जालिमों के सामने कितना रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुआफी मांगता है। मैं इस टाडा की मिसाल दूं आपको गवर्नमेंट कह रही है कि मुल्क में अमन-ओ-अमन में बहाली पैदा हुई, हुकूमत कह रही है कि कानून की हालत सुधर गई है, यह मराठवाड़ा फूंका गया आज की बात महीना भर पहले की बात दलित जलाए गए, महीना भर पहले की बात दलितों की आबादियां फूंक दी गई महीना भर पहले की बात बाल ठाकरे जैसा गुंडा दहशतपसंद गुंडागर्दी की अलामत इस हिन्दुस्तान में बना हुआ है। गरीबों को शरीफ ताजरों को पकड़ कर आप जेल में टाडा के नाम पर डालेंगे, यह आपके कानून की बहाली है। बाल ठाकरे को गुंडई करने के लिए आप खुल्लम-खुल्ला छोड़ देंगे आतंकवाद फैलाने के लिए, उसके ऊपर आपके कानून का कोई हथियार नहीं चलता यह आपकी कानून की बहाली है, यह आपकी अमन की बहाली है। चलिए माना कि अयोध्या में प्रैस पर हमला हुआ था बहुत दिन हो गए 1992 में प्रैस पर फिरकापरस्तों ने अयोध्या में हमला किया था। मगर यह 1993 में, यह 1994 में या जब इस बजट सैशन के मौके पर प्रसीडेंशल एड्रेस लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और बहस हो रही है इस जमाने में अगर मराठवाड़ा में दलित फूंके जा रहे हैं तो मैं मान लूं कि आपने कानून की बहाली का रास्ता मुल्क को दिखलाया अगर प्रैस पर औरंगाबाद में हमला हो रहा है और बाल ठाकरे प्रैस पर हमला करवा रहा है। बाल ठाकरे यह बता रहा है कि महाराष्ट्र में पैरलल हकूमत कांग्रेस की भी हकूमत है, शिव सेना की भी हकूमत है। इसमें शरद पवार भी चीफ मिनिस्टर हैं और बाल ठाकरे कह रहा है मैं महा चीफ मिनिस्टर हूं। मुझ पर हिन्दुस्तान का कोई कानून लागू नहीं होता, मुझ पर हिन्दुस्तान के किसी लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करने का सवाल नहीं है। जरा जमीन को टटोलिए, शरम-ओ-हया का चालीसवां हिस्सा भी बतौर खैरात अगर मौजूद हो तो जरा टटोलकर बताइये कि यह कौन सा इंसाफ है। यह कानून की बहाली की कौन सी परिभाषा है आपकी कि गरीबों को मार डालिए, गरीब मारा जाए थाने में आज तो उसको चार डंडा मारकर भगा दिया जाता है। सौ-दो सौ रुपया लिए बगैर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। गरीब की बात सुनने के लिए कोई कहीं तैयार नहीं होता। गरीब मुजरिम नहीं है, जबर्दस्ती उसको मुजरिम बना दिया जाता है। डाकू हाथ नहीं लगते हैं तो रिक्शा पुलर का एनकाउंटर कर दिया जाता है। वाह रे कानून की बहाली। इसको अगर कहते हैं कानून की बहाली तो मैं तो यही कहूंगा कि,

> "खिरद का नाम जनून रख दिया, जनून का खिरद,
>
> जो चाहे आपका करिश्मा हुसन-ए-साज करे"।

यह कैसी है कानून की बहाली ? क्या कभी संजीदगी से हकूमत ने सोचा है ? बाल ठाकरे भी कानून के दायरे में आता है। हमारे सुनील दत्त, जो इंसान और समाजी तस्वीर बने हुए हैं, सुनील दत्त भारत में सिर्फ फिल्म स्टार ही नहीं रहे हैं, उन्होंने एक अच्छे मैंबर पार्लियामेंट की अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। उन्होंने एक अच्छे एक्टर के जरिए भी हमारे फिकर-ओ-फन को आसमान तक पहुंचाया। सुनील दत्त के बेटे को टाडा में गिरफ्तार किया। सिर्फ उस आदमी की प्रेस्टिज को डाउन करने के लिए, सिर्फ उसकी इंसानियत को गिराने के लिए, सिर्फ उसकी आदमियत नवाजी का हौसला उससे छीन लेने के लिए। मगर मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग इंसानियत के तहफ्फुज में यकीन रखते हैं, उनके बेटों तक टाडा तो क्या उनके बेटों की गरदनें भी काट लो वह कभी भी गरीबों, हकदारों और मजलूमों की हिमायत से बाज नहीं आ सकते। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक तरफ तो टाडा के जरिए, एन० एस० ए० के जरिए जो मुलजिम हैं, पकड़ो। मुलजिम तो आप पकड़ते

नहीं हो, गरीबों पर अंधा-धुंध फायरिंग कर देते हो। आतंकवादी तो आपके हाथ लगता नहीं, आम आदमी को आतंकवादी कहकर उसका जीना दूभर कर देते हो। सरकार जरा आइने में देखकर क्या मुझे इस बात का जवाब देगी कि हजारों आदमियों का कातिल, अरबों की तबाही का जिम्मेदार, बॉम्बे जैसी सुंदर नगरी को फुंकवा देने वाला कायर आज क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है ? वह तो इकबाली मुजरिम है. बालठाकरे ने कहा भी था मैंने बाबरी-मस्जिद तुड़वाई है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है यह नहीं टूटनी चाहिए, हुकूमत-ए-हिंद कह रही है कि किसी भी कीमत पर हिफाजत करेंगे। और इस मुल्क में आपकी छाती पर दनदनाते हुए मूंग दल रहा है बाल ठाकरे और कह रहा है कि मैंने तुड़वायी है बाबरी मस्जिद, जो करना हो कर लो। मेरे सैनिकों ने तोड़ा है इस से कुल-रिज्म की अलामत को, जो बिगाड़ना है, बिगाड़ लो। यह कैसी हुकूमत है ? क्या हम मान लें कि बॉम्बे में सिर्फ "टाडा" राज है ? क्या हम मान लें कि महाराष्ट्र में लॉ एंड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है ? बाल ठाकरे कानून से ऊंचे हो गए ? हर आदमी की गर्दन तक कानून का हाथ पहुंच रहा है, लेकिन बाल ठाकरे की गर्दन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है ? इसलिए हुकूमत को यह दावा करने का हक कोई नहीं है कि मुल्क में अमनो-अमान और कानून की हालत सुधर गयी है।

सर, इसी पैराग्राफ में बाबरी मस्जिद के मुकदमें का भी जिक्र किया गया है और उसमें कहा गया है कि हुकूमत 143(ए) के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट जो राय देगी उस पर मुनासिब कदम उठाया जाएगा। गोया सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद भी हुक्मी कायदा नहीं किया जा रहा है कि उस पर अमल किया जाएगा। जैसा वक्त आएगा, वैसा देख लेंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले इस बात की वजाहत हो जाय कि 143(ए) के तहत क्या पूछ रहे हैं आप ? सरकार पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि बताओ, बाबर के नाम से जो बाबरी मस्जिद बनी थी अयोध्या में, उस मस्जिद से सौ साल पहले, हजार साल पहले, तीस हजार साल पहले क्या वहां कोई मंदिर था ? क्या वहां कोई हिंदू स्ट्रक्चर था ? क्या वहां कोई हिंदू मजहब का निशान था ? यह सरकार पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट नहीं हुई, आसारे कदीमा की मैनेजर हो गई। सुप्रीम कोर्ट को अब कानूनी तौर पर फैसला नहीं करना है, अयोध्या में जाकर जमीन की खुदाई का काम करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में मुसलमानों की आमद का जमाना ही कितना हुआ ? एक हजार साल हुए, मुसलमान आए यहां। इससे पहले तो मुसलमान नहीं थे यहां। इससे पहले तो मस्जिदें नहीं थीं यहां। इससे पहले तो मकबरे नहीं थे यहां। इससे पहले तो खानकाहें और मदरसे नहीं थे यहां। अगर यही तरीका है सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ का कि हुकूमत पूछती है बताओ, कभी किसी जमाने में कोई हिंदू मजहबी निशान था या नहीं था तो इस मुल्क में तो हिंदू एक जमाने से है। जिस जमीन को खोदिएगा कोई-न-कोई निशान निकलेगा। इस तरह से तो न अबुलकलाम आजमी का मकान, उनका मकान होगा, न हिंदुस्तान की कोई मस्जिद, मस्जिद रह जाएगी, न हिंदुस्तान की कोई कब्रिस्तान, कब्रिस्तान रह जाएगी। हुकूमत आखिर इस मामले में अब भी ईमानदारी के साथ कानूनी तौर पर फैसला लेने के लिए तैयार क्यों नहीं होती ? अगर सरकार के पास अक्ल के नाखून हैं तो इस मामले को सुलझाने में देरी न करे और मस्जिद और उसके 23 प्लाटों को जो उसने अक्वायर किया है, खत्म करे और दफा 138 के तहत सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाकर सस्ती से उसको नाफिज कर दे। अदालतों में जो मुकद्दमात हैं, उनको इकट्ठा करले और इकट्ठा करने के बाद जो भी फैसला हो, सफाई और ईमानदारी के साथ दे दे।

हर हिंदुस्तानी का अपने मुल्क को अमनो बकार की मंजिल से गुजारने के लिए फर्ज होगा कि उस फैसले को तस्लीम करे। लेकिन सरकार इस मामले में भी हमें पहाड़ा पढ़ा रही है जबकि फिरकापरस्तों का दावा कुल इतना था कि क्या बाबरी मस्जिद से पहले वहां कोई मंदिर था ? यह दावा है उनका और सरकार दस जूता आगे बढ़ गयी . . . (**व्यवधान**) . . मुहावरे में जूता भी कहते हैं। दस हाथ आगे बढ़ गयी फिरकापरस्तों के लिए। वह आगे बढ़कर कहती है कि बताओ दो हजार, दस हजार, बीस हजार साल पहले वहां कोई हिंदू स्ट्रक्चर था कि नहीं कोई निशान था कि नहीं ? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में नेक-नीयती के जज्बात से काम ले और मुल्क को बर्बाद करने का तमाशा न करे।

सदरे मोहतरम्, पैराग्राफ नंबर-8 देखिए, उसमें सदरे जमूरिया ने कहा है कि इंसानी हकूक कमीशन के काम को बहुत बड़े कारनामें से ताबीर कर दिया गया। क्या सारे मुल्क में कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि रंगोनस्ल और जातो-पांत के नाम पर इंसानों के बुनियादी हकूक की पामाली का सिलसिला हमारे यहां हजारों साल से जारी नहीं है ? अभी हम प्राइवेट मेंबर्स बिल पर जो बहस कर रहे थे, वह आखिर किस बात की बहस थी ? ईसाइयों का जो हकूक मार लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि उनका हक दिया जाए और अब तक उनका हक नहीं दिया गया। क्या यह उनका हक दबा लेने की अलामत नहीं है? क्या इसी तरह इंसानी हकूक की हिफाजत की जाएगी हमारे मुल्क में जिस तरह के इंसानी हकूक की हिफाजत का अमरीका ढोल पीट रहा है ? मुझे तो ऐसा लगता है कि अमरीका के दबाव में ही आज इंसानी हकूक की बात यह सरकार कर रही है। कमीशन के मेम्बरान की नेकनियती पर मुझे पूरा भरोसा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) आजमी साहब, अब आप खतम करें। आपका समय हो चुका।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : जी, बस दो मिनट। वह अदालती पैमाने की लाज रखेंगे ? मुझे अंदेशा है कि हुकूमत अपने गलत फैसलों को छिपाने के लिए कहीं इन्हें भी अपने दबाव का शिकार न बना ले।

सदर मोहतरम, मैं एक बात बड़ी खुशी तौर पर कहना चाहूंगा कि इंसानी हकूक कमीशन ने अभी कुछ रोज पहले यह जायजा पेश किया है कि हमारे मुल्क की अकलियतों की हालत, माइनोरिटिज की हालत बदतर हो चुकी है। नौकरियों और तालीम में उनकी गिरती हुई पोजीशन का हवाला देते हुए माइनोरिटिज की तालीमी और मआशी पोजीशन को बहाल करने के लिए हुकूमते हिन्द को एक वर्किंग ग्रुप तशकील करने का सुझाव दिया गया है। यह हमारे मुल्क में बनी हुई इंसानी हकूक कमीशन का सुझाव है गवर्नमेंट आफ इंडिया का, कि इस मुल्क की अकलियतों की तालीमी और आर्थिक पोजीशन निहायत खस्ता हाल हो गई है। सही कहा है उन्होंने। पांचवी क्लास में हिन्दुस्तान के मुसलमान पूरे मुल्क में सिर्फ आठ परसेंट तालीम हासिल कर रहे हैं अपनी गुरबत की वजह से। पूरे हिन्दुस्तान में दसवीं क्लास में हिन्दुस्तान के मुसलमान सिर्फ पांच परसेंट तालीम हासिल कर रहे हैं अपनी गरीबी की वजह से। पूरे मुल्क में हिन्दुस्तान के मुसलमान ग्रेजुएशन में सिर्फ दो परसेंट तालीम हासिल कर रहे हैं अपनी गरीबी की वजह से। पूरे मुल्क में हिन्दुस्तान का मुसलमान हाई एजूकेशन में जीरो बटा सन्नाटा हो गया। कौन है इसका जिम्मेवार ? सबको रिजर्वेशन दिया गया। जरूर देना चाहिए, सबकी पोजीशन को बहाल करना चाहिए। आखिर माइनोरिटिज ने क्या बिगाड़ा है ? इस मुल्क की बीस करोड़ जनता, जो गरीबी की रेखा को छू रही है, इस मुल्क की बीस करोड़ जनता जिसका हाल

यह है कि हुकूमत की सरकारी नौकरियों में मुसलमान एक फीसद, दो फीसद के बीच लटक रहा है। क्या यही इन्साफ है हुकूमत का ? क्या यही मुख्यधारा के साथ जोड़ने वाली बात आपने की है ?

सदर मोहतरम, पैराग्राफ नंबर 23 में सदरे जम्हूरियत की तकरीर में कहा गया है कि इस मुल्क के चन्द तबकों को बहुत खस्ता हाल मानते हैं।.....(**व्यवधान**).... इसमें औरतें, बच्चे, अकलियत, दलित और पसमांदा जाति शामिल हैं। सदरे जम्हूरियत के अलफाज यह हैं, सदर मोहतरम, कि तरक्की की धारा से इनको अलग नहीं रहना चाहिए। मैं पूछता हूं कि तरक्की की धारा से क्या यह लोग अपने आप अलग हो गए ? इन अलफाज पर गौर करना होगा। सदरे जम्हूरियत कहते हैं कि तरक्की की धारा से इन कबाइल, इन जातों को अलग नहीं रहना चाहिए। किसने किया इनको अलग ? क्या इन मुसलमानों ने कह दिया कि हमको तालीम मत दो...(**व्यवधान**)...

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : यह अलग बात है, आजमी साहब। वह इसलिए कहा कि इलिट्रेट नहीं रहना, इससे अलग नहीं रहना चाहिए।.....(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : साहू जी, आप भी शायद बोलने वाले वाले हैं। यहां आपका नाम है।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : तरक्कीयाती धारा से इनको अलग नहीं रहना चाहिए, का क्या मतलब है ? तरक्कीयाती धारा से इनको अलग नहीं रहने का मतलब यह है कि इनको रहना चाहिए....(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आजमी साहब, अब आप खतम करें।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : बस, मैं खतम कर रहा हूं। यह तो बड़ा जबरदस्त मसला है। आखिरी बात है।

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : अच्छे शेर के साथ खतम करें।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : अच्छे शेर के साथ इसे कोट कर दूं :—

बरगे हिना पर लिखता हूं मैं दर्दे दिल की बात।
शायद की रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ।।

शायद आप इसको समझें। तो इनको अलग नहीं रहना चाहिए। सवाल यह है कि क्या यह तबका तरक्की की मुख्यधारा से खुद ही अलग हो गया। इन तबकात के दो एक परसेंट आदमियों को अगर तरक्की की मुख्यधारा से मिलने का मौका मिला तो आकाश से आकाश दीप जला रहे हैं इन तबकात के लोग। अग्नि मिसाइल, सदर सद्दाम हुसैन अपने दुश्मनों पर जो मिसाइल फेंक रहे थे उसकी मार थी 300 किलोमीटर की और हमारे भारत की अग्नि मिसाइल अपनी मार 1800 किलोमीटर तक रखती है। यह इसी तबके के उन लोगों ने बनाया, जिन लोगों को आज तक तरक्की की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश नहीं की गई है। सच्चाई यह है कि तरक्की की मुख्यधारा से हमेशा हुकूमत ने इनको काटा है। क्या हुकूमत अंधी थी, हुकूमत बहरी थी, हुकूमत नहीं जानती आज, उसके रिकार्ड पर यह बात न हीं है कि सिर्फ एक परसेंट, दो परसेंट मुसलमान हुकूमत की सरकारी नौकरियों में है ? बीस परसेंट आदमियों ने अगर एक परसेंट या दो परसेंट आदमियों को आप नौकरियों में लीजिएगा और हर जगह जात-पात, दीनधर्म का भेदभाव खड़ा कीजिएगा तो क्या इस मुल्क में उन तबकात को दबाकर, कुचलकर तरक्की के किसी सहारा का पैमाना पूरा किया जा सकता है ? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हुकूमत माइनोरिटिज के लिए उनके तनासबे आबादी के लिहाज से रिजर्वेशन दे। इसका मुतालबा मैं मुसलसल 1990 से करता आ रहा हूं।

सदर मोहतरम, एक बात और कहूंगा। यह बुनकरों का मसला है। बुनकरों का मामला भी

बहुत गंभीर है। बुनकर की हालत आपने अच्छी तरह से देखी है। वह जिस वक्त करघे में बैठता है, तो करघा जब वह खोदता है तो कब्र की तरह करघे का गड्ढा खोदता है और करघे में जब बैठता है बुनकर तो आधा वजूद उसका कब्र में होता है और कमर से ऊपर का आधा वजूद उसका हिन्दुस्तान में होता है। तो एक बुनकर कपड़ा बनाकर लोगों के तन को ढांपने का जो इंतजाम करता है, जरा देखिए तो कैसी खून-पसीने की कमाई है उसकी—आधा धड़ हिन्दुस्तान में, आधा धड़ कब्रिस्तान में, इस तरह से वह कपड़ा बनुकर के कपड़े का आयात-निर्यात करने का हमको मौका देता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी हालत क्या है? जो सबको रेशमी कपड़े दे रहा है, उसके घर पर जाकर देखिए कि टाट के परदे लग हुए हैं। क्या हुकूमत ने कभी इस बात की कोशिश की है कि उसकी समस्याओं को समझकर के कम से कम उसके घर में टाट का परदा हटवाकर कपड़े का परदा लगवा दे? आज बुनकर बहुत खस्ताहाली का शिकार है और बुनकरों के हालात इस कद्र तबाही और बर्बादी पर पहुंच गए हैं कि अगर बुनकरों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनके बाल बच्चों की हालत बड़ी दयनीय हो जाएगी। बस, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार उनको सूत दे, कपड़े, खुद बनवाए, तरबीयत याफ्ता मजदूरों को जो उजरत मिलती है, उन्हें भी वही मजदूरी दे दी जाए और अगर सरकार वाकई माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ करना चाहती है और यह सरकार क्या माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ करेगी जो 15 प्वाइंट प्रोग्राम लाई, मैं राजीव जी और इंदिरा जी के बारे में यह कह सकता हूं कि बड़ी ईमानदारी के साथ उन दोनों ने महसूस किया था इस बात को कि माइनॉरिटीज की हालत बहुत बदतर है। 15 प्वाइंट प्रोग्राम वे लाए थे और राजीव जी ने अपने जमाने में उसका स्ट्रक्चर भी बनाना शुरू कर दिया था और इसी हाउस में मेरे सवाल का जवाब देते हुए जनाब सीताराम केसरी ने कहा था कि हम 15 प्वाइंट से भी ज्यादा.. (व्यवधान)..

95-M/P(D)17RSS—34

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अब मैं श्री जगमोहन का नाम पुकारता हूं।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : सर, बिल्कुल आखिरी बात है, माइनॉरिटीज की बात है। 15 प्वाइंट के बजाए उन्होंने कहा कि 20 प्वाइंट हम प्रोग्राम लाए हैं। मैंने कहा कि भाई 15 प्वाइंट प्रोग्राम के जरिए जो फायदा आपने हमको पहुंचाया है आप उसी का डाटा दे दो, 20 प्वाइंट प्रोग्राम की बात आप बाद में करना। सदरे मोहतरम्, मुझे हैरत है कि इस प्रेजिडेंशियल एडरेस में इस 15 प्वाइंट प्रोग्राम का कहीं तुज्करा तक नहीं किया गया है। यह सरकार इतनी शुभचिंतक है माइनॉरिटीज के लिए।

इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस खुतबाए सदारत पर बोलकर हम बहरे कानों को खोलने की कोशीश कर रहे हैं। काश, हुकूमत हमारी आवाज को ईमानदारी के साथ सुने और अपनी गल्तियों का तदारुक करते हुए देश के आवाम के साथ इंसाफ करे और माइनॉरिटीज को भी उनके तनासुबे आबादी के लिहाज से रिजर्वेशन दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।

مولانا عبیداللہ خاں اعظمی: میں نے تو بار بار اس ہاؤس میں گزارش کی ہے جرمن صاحب سے بھی یہ کہا تھا۔ ہمارے آج کے موجودہ پریذیڈنٹ اور کل کے ہمارے.....

سری ایچ ہنومن تھیا: میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی آسان اردو بولئے۔

مولانا عبیداللہ خاں اعظمی: میں آسان اردو ہی بولتا ہوں میری جو روزمرہ کی لینگویج ہے۔ میں وہ ہی بول رہا ہوں۔ میں ایسا نہیں بولتا کہ تالبش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی

† [ ] Transliteration in Arabic script.

تاکہ ہم اپنی بات آسانی سے آپ تک پہنچا سکیں۔

صدر محترم، پریذیڈینشل ایڈریس پر بولتے ہوئے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہندوستان کے عظیم شاعر مرزا غالب نے کہا تھا کہ۔

بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے
ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے

اسی شب روز کے تماشے کے پیش نظر ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میرا قوت حافظہ رفاقت کر رہا ہے آج تک صدر جمہوریہ کی تقریر اتنی مختصر اور سطحی کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ صدر کی تقریر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سال بھر تک زندگی کے ہر شعبے میں حکومت کون کون سے قدم ٹھوس اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ اس کا اعلان اور گزرے ہوئے سال میں کیا کچھ ہوا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پر حکومت سے کیا کیا کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کے پس منظر میں صدارتی خطبے میں پیش کیا جاتا ہے۔ صدر کا خطبہ دیکھنے کے بعد سوچتا ہوں کہ سینوں یا روؤں جگہ کو میں اگر کوئی ذریعہ یہی تقریر کرتا تو یقیناً یقین بھی کیا جا سکتا تھا اور نہیں بھی۔

مگر جب صدر جمہوریہ خود خطاب کریں

تمنائیں ہیں وہ مجھے مجروح نظر آ رہی ہیں۔ سارے ہستی سے حق بھی آوازیں نشاط اٹھ رہی ہیں۔ وہ مایوسی ناکامیت ہے ہم سے دبتی جا رہی ہے۔ میں ایسا نہیں سوچتا ہوں کہ سورش درد و الم وان پر میرے مسلط ہے جیسے شام غربت کے الماس لطائے ٹپک رہے ہوں اور شب زمھریر سے خون کے آنسو گر رہے ہوں۔ میں وہ اردو تو نہیں بول رہا ہوں۔ میں تو مراٹھی، کنڑ اور ہندی... اپ سبھا ادھیکش، اس سے آپ کے بولنے کے سمے میں کمی ہو رہی ہے۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: اس لئے میں آپ حضرات کی بھی مدد چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے ذریعے چیئرمین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اردو کا انٹرپریٹر ہمیں دیا جائے۔ جو ہمارے ہندی کے انٹرپریٹر ہیں۔ وہ حضرات بھی بہت محنت کرتے ہیں۔ بہت کوشش کرتے ہیں پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات صحیح طریقے تک آپکو پہنچا دیں۔ اس کے باوجود اگر صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتی تو ہمارے ہندی کے انٹرپریٹر کی کوئی کمی نہیں۔ بلکہ اردو کے انٹرپریٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے اس سیشن میں ہمیں اردو مترجم مل جائے گا

مظلوموں کی زبان بندوق اور گولی سے بند کر دینے کا نام قانون کی بحالی ہے۔ اگر حقداروں کے حقوق کو پامال کر دینے کا نام قانون کی بحالی ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت ہند قانون کو بحال ہوئی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کس لئے ہوتا ہے۔ قانون کس کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ قانون، قانونی حکومت کے ماننے والے انسانوں پر نافذ ہوتا ہے۔ مگر اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیئے کہ قانونی حکومت کا قانون ماننے والے صرف ملک کے عوام ہی نہیں ہوتے قانونی حکومت کے قانون کے ماننے کی ذمہ داری قانون لاگو کرنے والے افسروں پر بھی ہوتی ہے۔ قانونی حکومت کے قانون کا نفاذ صرف عوام پر نہیں ہوتا ہے پولیس کی وردی پہننے والے ذمہ داروں پر بھی ہوتا ہے۔ کہیں ہیں بے شمار لوگوں کی اندھا دھند گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں مجرموں کی گرفتاری مجرموں کی سزا میں کس طرح کی ڈھیل نہیں دینی چاہیئے۔ کوئی نرمی نہیں برتی جانی چاہیئے اس لئے کہ اگر مجرم کو جرم کرنے کے فوراً واقعی سزا نہ دی جائے تو ملک کے قانون کی بحالی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ مگر جو لوگ مجرم نہیں ہیں جن لوگوں کو پولیس والے اڑا لیجاتے ہیں

تو پھر یہ خطاب ساری قوم کو مکمل اعتماد بخشتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب صحیح ہے۔ مگر اس خطبہ صدارت کو پڑھنے کے بعد میں صاف طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ الفاظ کی شعبدہ گری کے ذریعے ملک کے عوام کے ساتھ حکومت ہند اپنی پرانی رسم کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ فریب مذاق کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مرزا غالب نے شائد ایسے ہی حکمرانوں کے لئے کہا تھا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ
دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا

صدر محترم۔ اب میں دو تین مثالیں دینا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ کہاں کی کتھنی اور کرنی میں کیا بنیادی فرق ہے۔ صدر کے خطبہ صدارت کے پیراگراف نمبر تین میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں امن اور قانون کی حالت سدھر گئی ہے اور مثال کے طور پر پچھلے دنوں جن پانچ ریاستوں میں الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کا حوالہ دیا گیا۔ اگر بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کا جارحانہ اور دلی میں خود کانگریس کے سیڈیو آفس پر بم کا دھماکہ یہ سارے چیزیں حالات کے سدھرنے کی نشانی ہیں تب تو ہماری حکومت واقعی قانون کی بحالی پر ہماری مبارکباد کی مستحق ہے لیکن

کہ اس کے باوجود بھی بغاوت نہیں کرتی۔ اس کے باوجود بھی وہ حکومتوں کے ایوان نہیں ہلاتی۔ اس کے باوجود منسٹریوں کی گاڑی نہیں پھونکتی۔ اس کے باوجود وہ ہندوستان کی سرزمین پر کسی وبال کا شکار نہیں بنتی۔ تو لا اینڈ آرڈر ہماری جنتا مینٹین کرتی ہے۔ حکومت نے کیا لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا ہے۔ میں آپکو بتاؤں حکومت ہے ادھیکاری کیا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتے ہیں تو بتاؤں آپکو۔ یہاں لا اینڈ آرڈر اس طرح سے مینٹین ہوتا ہے کہ آج ہی کے اخبار کو اٹھا کر پڑھئے۔ "ٹائمس آف انڈیا" آج کے اخبار میں ہے کہ جناب گل صاحب جو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ہیں وہ آسام گئے ہوئے تھے۔ آسام میں جا کر انہوں نے کہا کہ راجیو جی نے جو آسام معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ ان کو نہیں کرنا چاہیئے تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن اسی طرح سے چلے گا۔ سرکاری پالیسیوں کی نندا اس طرح سے اتنے بڑے عہدیدار جب کریں گے تو یہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی بات ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنے کی بات ہے۔ ساتھ ساتھ راجستھان میں "ٹاڈا" کے نام پر۔ یہ "ٹاڈا" یہ کالا قانون۔ یہ سرکاری دہشت گردی کا ہتھیار گرفتار کرتی ہے اور جن لوگوں کو "ٹاڈا" میں صرف اس لئے بند کر دیا جاتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو یرغمال کیا جائے۔ اُن کا ایکسپلائٹیشن کیا کر کے ان سے پیسے کمائیں جائیں۔ رشوت لی جائے۔ جس بزنس مین کو صرف ان سے لاکھ دو لاکھ لوٹنے کیلئے کروڑ پتیوں کو بے عزت کرنے کیلئے تھانوں میں بلا کر روزانہ بٹھایا جاتا ہے اور انکی پریڈ کروائی جاتی ہے۔ کیا یہ قانون کا مذاق نہیں ہے۔ کیا یہی قانون کی بحالی کا راستہ ہے۔ اس قانون کی بحالی کا نفاذ ملک کے عوام اپنے آپ کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کی جنتا قابل مبارکباد ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کیلئے اس ملک کے عوام نے ہمیشہ حکومتوں کا سہیوگ کیا ہے۔ اس ملک کا عوام کبھی بغاوت نہیں کرتا۔ اس ملک کے عوام کے ساتھ حکومتیں دھوکہ کرتی ہیں۔ اس ملک کے عوام کے ساتھ جو وعدے کئے جاتے ہیں وہ پورے نہیں کئے جاتے ہیں۔ اس ملک کے عوام سے کہا جاتا ہے کہ سو دن میں قیمتوں میں گراوٹ آجائے گی۔ گرانی کم ہو جائے گی۔ مگر روزانہ گرانی آسمان کو چھو رہی ہے۔ انکم بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ مگر دھنیہ ہے اس ملک کا عوام۔ قابل مبارکباد ہے اس ملک کی جنتا

کی بحالی ہے۔ یہ آپکی امن کی بحالی ہے۔ چلئے مانا کہ ایودھیا میں پریس پر حملہ ہوا تھا بہت دن ہو گئے۔ ۱۹۹۲ء میں پریس پر فرقہ پرستوں نے ایودھیا میں حملہ کیا تھا مگر یہ ۱۹۹۳ میں۔ یہ ۱۹۹۴ میں یا جب اس بجٹ سیشن کے موقع پر پریذیڈنشیل ایڈریس لکھا جا رہا ہے۔ پڑھا جا رہا ہے اور بحث ہو رہی ہے اس زمانہ میں اگر مراٹھواڑ میں دلت پھونکے جا رہے تھے تو میں مان لوں کہ آپ نے قانون کی بحالی کا راستہ ملک کو دکھلایا اگر پریس پر اورنگ آباد میں حملہ ہو رہا ہے اور بال ٹھاکرے پریس پر حملہ کروا رہا ہے۔ بال ٹھاکرے بتا رہا ہے کہ مہاراشٹر میں پیرالل حکومت کانگریس کی بھی حکومت ہے شو سینا کی بھی حکومت ہے۔ اس میں شرد پوار بھی چیف منسٹر ہیں اور بال ٹھاکرے کہہ رہا ہے میں مہا چیف منسٹر ہوں۔ مجھ پر ہندوستان کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ مجھ پر ہندوستان کے کسی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کا سوال نہیں ہے۔ ذرا ضمیر ٹٹولئے۔ شرم و حیا کا چالیسواں حصہ بھی بطور خیرات اگر موجود ہو تو ذرا ٹٹول کر بتائیے کہ یہ کون سا انصاف ہے۔ یہ قانون کی بحالی کی کون سی پری بھاشا ہے۔ آپکی کہ غریبوں ہے اور سرکاری دہشت گردی کے کام بھی "ٹاڈا" کے ذریعہ کئے جاتے ہیں۔ جس باعزت آدمی کی عزت لوٹنی ہو۔ ٹاڈا لگا دیجئے۔ جس شریف النفس آدمی کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہو ٹاڈا کے قانون کے ذریعے اس کی زندگی کی۔ اس کی ذات۔ اس کی آل اولاد سے اس کے گھر والوں سے کھلواڑ کیجئے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹاڈا غریبوں پر کتنا زیادہ ظالم بن کر گھڑا ہوا ہے اور ظالموں کے سامنے کتنا رحم دل ہوتا ہے۔ گڑگڑاتا ہے۔ معافی مانگتا ہے۔ میں اس ٹاڈا کی مثال دوں آپکو گورنمنٹ کہہ رہی ہے۔ کہ قانون کی حالت سدھر گئی ہے۔ یہ مراٹھواڑ پھونکا گیا۔ آج کی بات مہینہ بھر پہلے کی بات دلت جلائے گئے۔ مہینہ بھر پہلے کی بات دلتوں کی آبادیاں پھونک دی گئیں۔ مہینہ بھر پہلے کی بات بال ٹھاکرے جیسے غنڈہ دہشت پسند غنڈہ گردی کی علامت اس ہندوستان میں بنا ہوا ہے۔ غریبوں کو شریف تاجروں کو پکڑ کر آپ جیل میں ٹاڈا کے نام پر ڈالیں گے۔ یہ آپکے قانون کی بحالی ہے بال ٹھاکرے کو غنڈئی کرنے کے لئے آپ کھلم کھلا چھوڑ دیں گے۔ آتنک واد پھیلانے کیلئے اس کے اوپر آپکے قانون کا کوئی ہتھیار نہیں چلتا۔ یہ آپکی قانون

اس سے چھین لینے کے لئے۔ مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ انسانیت کے تحفظ میں یقین رکھتے ہیں۔ ان کے بیٹوں تک ٹاڈا لو کیا۔ ان کے بیٹوں کی گردنیں بھی کاٹ لو وہ کبھی بھی غریبوں، حقداروں اور مظلوموں کی حمایت سے باز نہیں آسکتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ٹاڈا کے ذریعے این۔ ایس۔ اے کے ذریعے جو ملزم ہیں۔ پکڑو۔ ملزم تو آپ پکڑتے نہیں ہو۔ غریبوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دیتے ہو۔ آتنکوادی تو آپ کے ہاتھ لگتا نہیں۔ عام آدمی کو آتنکوادی کہہ کر اس کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ سرکار ذرا آئینے میں دیکھ کر مجھے بتائے گی اس بات کا جواب دے گی کہ ہزاروں آدمیوں کا قاتل اربوں کی تباہی کا ذمہ دار، بامبے جیسے سندر نگر کو بھکوا دینے والا کالیہ آج کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے۔ وہ تو اقبالی مجرم ہے۔ بال ٹھاکرے نے کہا بھی تھا میں نے بابری مسجد توڑوائی ہے۔ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے یہ نہیں توڑنی چاہیئے۔ حکومت ہند کہہ رہی ہے کہ کسی بھی قیمت پر تحفظات کریں گے۔ اور اس ملک میں آپکی چھاتی پر ہندناتے ہوئے مونگ دل رہا ہے۔ بال ٹھاکرے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے توڑوائی ہے بابری مسجد کو مار ڈالئے۔ غریب مارا جاتا ہے۔ تھانے میں آج تو اس کو چار ڈنڈا مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ سو دو سو روپیہ لے کر لئے بغیر اس کی رپورٹ نہیں لکھی جاتی۔ غریب کی بات سننے کے لئے کوئی کہیں تیار نہیں ہوتا غریب مجرم نہیں ہے۔ زبردستی اس کو مجرم بنا دیا جاتا ہے ڈاکو ہاتھ نہیں لگتے ہیں تو رکشہ پلر کو ان کاؤنٹر کر دیا جاتا ہے۔ واہ رے قانون کی بحالی اس کو اگر کہتے ہیں قانون کی بحالی تو میں یہی کہوں گا کہ۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

یہ کیسی ہے قانون کی بحالی۔ کیا کبھی سنجیدگی سے حکومت نے سوچا ہے۔ بال ٹھاکرے بھی قانون کے دائرے میں آتا ہے۔ ہمارے سنیل دت جو انسان اور سماجی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ سنیل دت بھارت کے صرف سپر اسٹار ہی نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اچھے ممبر پارلیمنٹ کی اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ انہوں نے ایک اچھے ایکٹر کے ذریعے بھی ہمارے فکر و فن کو آسمان تک پہنچایا سنیل دت کے بیٹے کو ٹاڈا میں گرفتار کیا گیا۔ صرف اس آدمی کی پبلسٹی ڈاؤن کرنے کے لئے۔ صرف اس کی انسانیت گرانے کے لئے۔ صرف اس کی آدمیت نوازی کا صلہ

پہلے۔ بیس ہزار سال پہلے کیا وہاں کوئی مندر
تھا کیا وہاں کوئی مسجد و اسٹرکچر تھا۔ کیا
وہاں کوئی ہندو مذہب کا نشان تھا۔ یہ سپریم کورٹ
پوچھ رہی ہے سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ
نہیں ہوئی آثار قدیمہ کی مینیجر ہو گئی سپریم
کورٹ کو جواب قانونی طور پہ فیصلہ نہیں
کرتا ہے۔ الہ دھیا میں جا کر زمین کی کھدائی
کا کام کرتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا
ہوں کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آمد کا زمانہ
ہی کتنا ہوا۔ ایک ہزار سال ہوتے مسلمان
یہاں آئے۔ اس سے پہلے تو مسلمان نہیں
تھے یہاں۔ اس سے پہلے تو مسجدیں نہیں
تھیں یہاں اس سے پہلے تو مقبرے نہیں
تھے یہاں اس سے پہلے خانقاہیں اور مدرسے
نہیں تھے یہاں۔ اگر یہی طریقہ ہے سپریم کورٹ
کا انصاف کا کہ حکومت پوچھتی ہے۔ بتاؤ
کبھی کسی زمانہ میں کوئی ہندو مذہبی نشان
تھا یا نہیں تھا تو اس ملک میں تو ہندو ایک
زمانہ سے ہے۔ جس زمین کو کھودیئے گا،
کوئی نہ کوئی نشان نکلے گا۔ اس طرح سے تو
نہ عبید اللہ خاں اعظمی کا مکان، ان کا مکان
ہوگا نہ ہندوستان کی کوئی مسجد، مسجد رہ
جائے گی نہ ہندوستان کی کوئی قبرستان
قبرستان رہ جائے گی۔ حکومت آخر اس معاملے
میں اب بھی ایمانداری کے ساتھ قانونی طور
پہ جو کرنا ہے کرلو میرے سینکڑوں نے توڑا ہے۔
اس سیکولرازم کی علامت کو جو بگاڑنا ہے بگاڑ
لو یہ کیسی حکومت ہے۔ کیا ہم مان لیں کہ
یا میں صرف ٹاڈا راج ہے۔ کیا ہم مان لیں
کہ مہاراشٹر میں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز
نہیں رہی۔ بال ٹھاکرے قانون سے اونچے
ہو گئے۔ ہر آدمی کی گردن تک قانون کا ہاتھ
پہنچ رہا ہے لیکن بال ٹھاکرے کی گردن تک
کیوں نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس لئے حکومت کو یہ
دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ملک میں
امن و امان اور قانون کی حالت مستحکم ہو گئی ہے
سر، اسی پیراگراف میں بابری مسجد کے
مقدمے کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس میں
کہا گیا ہے کہ حکومت 143 "اے" کے تحت
سپریم کورٹ سے رائے مانگ رہی ہے سپریم
کورٹ جو رائے دے گی اس پر مناسب
قدم اٹھایا جائے گا۔ گویا سپریم کورٹ کی رائے
کے بعد بھی حتمی وعدہ نہیں کیا جا رہا ہے کہ
اس پر عمل کیا جائے گا۔ جیسا وقت آئے گا
ویسا دیکھ لیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ پہلے اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ
143 "اے" کے تحت کیا پوچھ رہے ہیں آپ
سپریم کورٹ سے کیا پوچھ رہی ہے سپریم کورٹ سے کہ بتاؤ
بابر کے دور سے جو بابری مسجد بنی تھی الہ دھیا
میں اس مسجد سے سو سال پہلے ہزار سال

نہ کرے۔

صدر محترم۔ پیراگراف نمبر ۸ دیکھیئے۔ اس میں صدر جمہوریہ نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کمیشن کے کام کو بہت بڑے کارنامے سے تعبیر کر دیا گیا۔ "کیا سارے ملک میں کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ رنگ، نسل اور ذات و پات کے نام پر انسانوں کے بنیادی حقوق کی پامالی کا سلسلہ ہمارے یہاں ہزاروں سال سے جاری نہیں ہے۔ ابھی ہم پرائیویٹ ممبرس بل پر جو بحث کر رہے تھے۔ وہ آخر کس بات کی بحث تھی۔ عیسائیوں کا جو حق مار دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا حق دیا جائے اور اب تک ان کا حق نہیں دیا گیا۔ کیا یہ ان کا حق دبا لینے کی علامت نہیں ہے۔ کیا اسی طرح انسانی حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ ہمارے ملک میں جس طرح کے انسانی حقوق کی حفاظت امریکہ ڈھول پیٹ رہا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے دباؤ میں ہی آج انسانی حقوق کی بات یہ سرکار کر رہی ہے۔ کمیشن کے ممبران کی نیک نیتی پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔

اب سبھاپتی جی "شری ستیہ پرکاش "مالویہ": اظلمی صاحب۔ اب آپ ختم کریں آپ کا وقت ہو چکا۔

پر فیصلہ لینے کے لئے تیار کیوں نہیں ہوتی اگر سرکار کے پاس عقل کے ناخن ہیں تو اس معاملے کو سلجھانے میں دیری نہ کرے اور مسجد اور اس کے ۲۳ پلاٹوں کو جو اس نے ایکوائر کیا ہے۔ ختم کرے اور دفعہ ۱۳۸ کے تحت سپریم کورٹ سے فیصلہ کروا کر سختی سے اس کو نافذ کرے عدالت میں جو مقدمات ہیں۔ ان کو اکٹھا کرے اور اکٹھا کرنے کے بعد جو بھی فیصلہ ہو۔ صفائی اور ایمانداری کے ساتھ دے دے۔

ہر ہندوستانی کا اپنے ملک کو امن و قار کی منزل سے گزارنے کے لئے فرض ہو گا کہ اس فیصلے کو تسلیم کرے۔ لیکن سرکار اس معاملے میں بھی ہمیں پہاڑہ پڑھا رہی ہے جبکہ فرقہ پرستوں کا دعویٰ کل اتنا تھا کہ کیا بابری مسجد سے پہلے وہاں کوئی مندر تھا یہ دعویٰ ہے ان کا اور سرکار دس جوتا آگے بڑھ گئی۔۔: مداخلت"۔۔۔ محاورے میں جوتا بھی کہتے ہیں۔ دس ہاتھ آگے بڑھ گئے فرقہ پرستوں کے لئے۔ وہ آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ بتاؤ دو ہزار۔ دس ہزار۔ بیس ہزار سال پہلے وہاں کوئی ہندو اسٹرکچر تھا کہ نہیں۔ کوئی نشان تھا کہ نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار اس معاملے میں نیک نیتی کے جذبات سے کام لے اور ملک کو تباہی کے تماشہ

کے مسلمان گریجویشن میں صرف ڈو پرسینٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنی غریبی کی وجہ سے۔ پورے ملک میں ہندوستان کا مسلمان ہائی ایجوکیشن میں زیرو پائنٹ سات ہو گیا۔ کون ہے اس کا ذمہ دار۔ سب کو رزرویشن دیا گیا۔ ضرور دینا چاہیئے۔ سب کی پوزیشن کو کو بحال کرنا چاہیئے۔ آخر مائناریٹیز نے کیا بگاڑا ہے۔ اس ملک کی بیس کروڑ جنتا جو غریبی کی ریکھا کو جھو رہی ہے۔ اس ملک کی بیس کروڑ جنتا جس کا حال یہ ہے کہ حکومت کی نوکریوں میں مسلمان ایک فیصد دو فیصد کے بیچ لٹک رہا ہے کیا یہی انصاف ہے حکومت کا۔ کیا یہی منکھیہ دھارا کے ساتھ جوڑنے والی بات آپ نے کی ہے۔

صدر محترم۔ پیراگراف نمبر ۱۳ میں صدر جمہوریہ کی تقریر میں کہا گیا ہے کہ اس ملک کے چند طبقوں کو بہت خستہ حال مانتے ہیں ..... "مداخلت ....." اس میں عورتیں۔ بچیوں۔ اقلیت۔ دلت اور پسماندہ جاتی شامل ہے۔ صدر جمہوریہ کے الفاظ یہ ہیں صدر صاحب۔ کہ ترقی دھارا سے انکو الگ نہیں رہنا چاہیئے میں پوچھتا ہوں کہ ترقی کی دھارا سے کیا یہ لوگ اپنے آپ الگ ہو گئے۔ ان الفاظ پر غور کرنا ہوگا۔ صدر جمہوریہ کہتے ہیں کہ ترقی کی دھارا سے ان قبائیل۔ ان ذاتوں کو

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: جی۔ بس دو منٹ۔ وہ عدالتی پیمانے کی لاج رکھیں گے مجھے اندیشہ ہے کہ حکومت اپنے غلط فیصلوں کو چھپانے کیلئے کہیں انہیں بھی اپنے دباؤ کا شکار نہ بنالے۔

صدر محترم۔ میں ایک بات بڑی خوبصورتی طور پر کہنا چاہوں گا کہ انسانی حقوق کمیشن نے ابھی کچھ روز پہلے یہ جائزہ پیش کیا ہے کہ ہمارے ملک کی اقلیتوں کی حالت مائناریٹیز کی حالت بدتر ہو چکی ہے۔ نوکریوں اور تعلیم میں انکی گرتی ہوئی پوزیشن کا حوالہ دیتے ہوئے مائناریٹیز کی تعلیمی اور معاشی پوزیشن کو بحال کرنے کے لئے حکومت ہند کو ایک ورکنگ گروپ تشکیل کرنے کا دباؤ دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں بنی ہوئی انسانی حقوق کمیشن کا دباؤ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا کہ اس ملک کی اقلیتوں کی تعلیمی اور آرتھک پوزیشن نہایت خستہ حال ہو گئی ہے صحیح کہا ہے انہوں نے۔ پانچویں کلاس میں ہندوستان میں مسلمان پورے ملک میں صرف آٹھ پرسینٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اپنی غریبی کی وجہ سے۔ پورے ہندوستان میں دسویں کلاس میں ہندوستان کے مسلمان صرف پانچ پرسینٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اپنی غریبی کی وجہ سے۔ پورے ملک میں ہندوستان

برگِ حنا پر لکھتا ہوں درد دل کی بات
شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ

شاید آپ اس کو سمجھیں تو ان کو الگ نہیں رہنا چاہیئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا یہ طبقہ ترقی کی مکھیہ دھارا سے خود ہی الگ ہو گیا۔ ان طبقات کے دو ایک پرسینٹ آدمیوں کو اگر ترقی کی مکھیہ دھارا سے ملنے کا موقع ملا تو آکاش سے آکاش دیپ جلا رہے ہیں۔ ان طبقات کے لوگ اگنی میزائل، صدر صدام حسین اپنے دشمنوں پر جو میزائل پھینک رہے تھے اس کی مار تھی 650 کلومیٹر کی اور ہمارے بھارت کی اگنی میزائل اپنی مار ۱۸۰۰ کلومیٹر تک رکھتی ہے۔ یہ اسی طبقہ کے ان لوگوں نے بنایا جن لوگوں کو آج تک ترقی کی مکھیہ دھارا سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ترقی کی مکھیہ دھارا سے ہمیشہ حکومت نے ان کو کاٹا ہے۔ کیا حکومت اندھی تھی، حکومت بہری تھی، حکومت نہیں جانتی آج۔ اس کے ریکارڈ پر یہ بات نہیں ہے کہ صرف ایک پرسینٹ، دو پرسینٹ مسلمان حکومت کی سرکاری نوکریوں میں ہیں۔ بیس پرسینٹ آدمیوں میں اگر ایک پرسینٹ یا دو پرسینٹ آدمیوں کو آپ نوکریوں میں لائیں گے اور ہر جگہ ذات پات دین دھرم کا بھید بھاؤ کھڑا الگ نہیں رہنا چاہیئے۔ کس نے انکو الگ کیا۔ ان مسلمانوں نے کہہ دیا کہ ہم کو تعلیم مت دو..." مداخلت"...

شری راجیو رنجن ساہو: یہ الگ بات ہے۔ اعظمی صاحب۔ وہ اس لئے کہا کہ الیٹریٹ نہیں رہنا۔ اس سے الگ الگ نہیں رہنا چاہیئے..." مداخلت"...

اپ سبھا ادھیکش "شری ستیہ پرکاش مالویہ": ساہو جی۔ آپ بھی شاید بولنے والے ہیں، یہاں آپ کا نام ہے۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: ترقیاتی دھارا سے ان کو الگ نہیں رہنا چاہیئے کیا مطلب ہے۔ ترقیاتی دھارا سے ان کو الگ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انکو رہنا چاہیئے..." مداخلت"...

اپ سبھا ادھیکش: اعظمی صاحب اب آپ ختم کریں۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: بس میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ تو بڑا زبردست مسئلہ ہے۔ آخری بات ہے۔

کھان منتر الیہ میں راجیہ منتری "بلرام سنگھ یادو"! اچھے شعر کے ساتھ ختم کریں۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: اچھے شعر کے ساتھ اسے کوٹ کر دوں۔

دیکھئے کہ ٹاٹ کے پردے لگے ہوتے ہیں کیا حکومت نے کبھی اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس کی سمسیاؤں کو سمجھ کر کے کم سے کم اس کے گھر سے ٹاٹ کا پردہ ہٹوا کر کپڑے کا پردہ لگوا دیں۔ آج بنکر بہت خستہ حال کا شکار ہے اور بنکروں کے حالات اس قدر تباہی اور بربادی پر پہنچ گئے ہیں اگر بنکروں پر دھیان نہیں دیا گیا تو ان کے بال بچوں کی حالت بڑی دیدنیئے ہو جائے گی بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار ان کو سوت دے کپڑے خود بنوائے۔ تربیت یافتہ مزدوروں کو جو اجرت ملتی ہے انہیں بھی وہ مزدوری دے دی جائے۔ اور اگر سرکار واقعی مائنارٹیز کے ساتھ انصاف کرے گی تو ہمارا پوائنٹ پروگرام لائی ہے۔ میں راجیو جی اور اندرا جی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی ایمانداری کے ساتھ ان دونوں نے محسوس کیا تھا اس بات کو کہ مائنارٹیز کی حالت بہت بدتر ہے۔ ہمارا پوائنٹ پروگرام وہ لائے تھے اور راجیو جی نے اپنے زمانے میں اس کا اسٹرکچر بھی بنانا شروع کر دیا تھا اور اس ہاؤس میں میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے۔ جناب سیتا رام کیسری نے کہا تھا کہ ہم تو ہمارا پوائنٹ سے بھی زیادہ ... مداخلت ...

اپ سبھا ادھیکش: شری سعید پرکاش کیجئے گا۔ تو کیا اس ملک میں ان طبقات کو دبا کر۔ کچل کر ترقی کے کسی سہارے کا پیمانہ پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے میں کہنا چاہوں گا کہ حکومت مائنارٹیز کے لئے ان کے تناسب آبادی کے لحاظ سے زر رویشن دے۔ اس کا مطالبہ میں مسلسل ۱۹۹۰ سے کرتا آ رہا ہوں۔

صدر محترم۔ ایک بات اور کہوں گا۔ یہ بنکروں کا مسئلہ ہے۔ بنکروں کا معاملہ بھی بہت گمبھیر ہے بنکر کی حالت آپ نے اچھی طرح سے دیکھی ہے۔ وہ جس وقت کرگھے میں بیٹھتا ہے۔ تو کرگھا جب وہ کھودتا ہے تو قبر کی طرح کرگھے کا گڈھا کھودتا ہے اور کرگھے میں جب بیٹھتا ہے بنکر تو آدھا وجود اس کا قبر میں ہوتا اور کمر سے اوپر کا آدھا وجود اس کا ہندوستان میں ہوتا ہے تو ایک بنکر کپڑا بنا کر لوگوں کے تن کو ڈھانپنے کا جو انتظام کرتا ہے ذرا دیکھئے تو کیسی خون پسینے کی کمائی ہے اس کی۔ آدھا دھڑ ہندوستان میں آدھا قبرستان میں۔ اس طرح سے وہ کپڑا بنکر کے کپڑے کا آیات نریات کرنے کا ہم کو موقع دیتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی حالت کیا ہے جو سب کو ریشمی کپڑے دے رہا ہے۔ اس کے گھر پر جا کر

مالویہ: اب میں شری جگموہن کا نام پکارتا ہوں۔
مولانا عبید اللہ خان اعظمی بہت بالکل
آخری بات ہے۔ مائنارٹیز کی بات ہے۔
۲۰ پوائنٹ کے بجائے۔ انہوں نے کہا کہ
۲۰ پوائنٹ پروگرام ہم لائے ہیں۔ میں نے
کہا کہ بھائی ۲۰ پوائنٹ پروگرام کے ذریعے
جو فائدہ آپ نے ہم کو پہنچایا ہے آپ
اسی کا ڈنکا دے دو۔ ۲۰ پوائنٹ پروگرام
کی بات آپ بعد میں کرنا صدر محترم۔
مجھے حیرت ہے کہ اس پریذیڈنشیل ایڈریس
میں اس ۲۰ پوائنٹ پروگرام کا کہیں
تذکرہ تک نہیں کیا گیا ہے۔ یہ سرکار
اتنی شرمندہ ہے مائنارٹیز کیلئے۔
اس لئے میں کہنا چاہوں گا کہ اس
عظیم صدارت پر بول کر ہم بہرے کانوں
کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاش
حکومت ہماری آواز کو ایمانداری کے ساتھ
سنے اور اپنی غلطیوں کا تدارک کرتے ہوئے
دیش کے عوام کے ساتھ انصاف کرے
اور مائنارٹیز کو بھی ان کے تناسب آبادی
کے لحاظ سے رزرویشن دیا جائے۔
بہت بہت شکریہ۔
"ختم شد"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA) PRAKASH MALAVIYA : Mr. Jagmohan You have five-six mintues.

SHRI JAGMOHAN (Nominated) : M'. Vice Chairman, Sir thank you for telling me. I have a number of points, but I would restrict myself.

Sir, while I thank the President for the kind Address that he has delivered, I cannot help but point out what I consider to be the significant omissins in the Address. In my view, it has no perspective. It has no vision. It has no broad pattern of thinking within which the subsidiary thinking can be fitted in. It is not the Address of a statesman who looks to the distant future also. It is only a routine Address which is based on administrative reports or administrative thinking alone.

While the President was detailing the performance of the Government and was saying that progress had been made in certain directions, I was reminded of a line from Macbeth which says :

"They win us with honest trifles,
Only to betray's in deepest consequences"

While we talk about the short gains which we are securing through the so-called economic reforms, we are not considering whether they are going to betray us in deeper consequences. This is what we should think of. I believe that these reforms, as they are conceived, as they are being implemented and as they are being touted about, are like a drug which you take to bring down the temperature. You do not know what the after-effects of the drug are going to be, what the side-effects of the drug are going to be. I think, the Finance Minister, while speaking at the time of the Budget, unwittingly happened to say what is going to be the verdict of history. He said :

"लमहों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई"

I think we might be repenting for a long time to come for the remedy we prescribed or the lapses we, in fact, committed in 1991 and 1992 and changed the course of our history by taking a particular route. This is what is likely to happend when you take the long-tetm consequences.

I dont' subscribe to the view :

"हम अकेले ही चले थे आनिबे मंजिल मगर,

लोग आते हो गए और कारवाँ बनता गया।"

I don't think that F.M. to P. M. started alone. They just attached themselves to the bandwagon which was already there for the Latin American countries and so many other countries. The World Bank and the IMF caravan was going on, and we just entered that caravan. The Govt. did not chalkout any new path. The Govt. did not try to break a new path. It simply followed an imitative policy, and this is going to create a very serious problem.

For instance, we are now having the worst of both the worlds. We are having consumerism. Whatever riches are coming are being cornered by a few. At the same time, We are keeping all the obscurantism, superstition and everything else of our own. We are not learning discipline or enterprise or initiative which the Wes has got, but we are combining the shortcomings of both the systems, and we are calling it "reforms".

Let me make it clear that I am not finding fault with the limited aspects of the economic policy. I mean, certain remedial measures had to be taken. But the grave mistake that is being made is that these reforms are being taken in isolation. If the body has to be made healthy, you have to take effectective steps for the whole body. You cannot cure a particular item of your body and feel that you are a healthy person. This is exactly what is meant. The reform has to be total. The reform has to be of the institutions and of the total system. I ask whether, after three years, we have improved our work culture, whether we have improved our organisational abilities, whether we have improved our productivity and whether we have improved our sense of dedication and purpose. None. Only we have taken loans. We have made the so-called "structural adjustments". We have relaxed this excise/custom duty here and imposed that excise/custom duty there. Is it "reform"? I am surprised at the level of superficiality of our thinking. These are not reforms. The reform should be of the mind. The reform should be of the ideas. In fact, from the television, we are acquiring a new taste. It is exactly the same which Macaulay wrote, "Let us change the taste of these people. Let us make them English in thinking and taste. Let them serve our purpose." The same thing is being done now. What is being done is vulgarisation of our taste and serving some people with greed. We want to make progress by making people more greedy.

This is not "progress". Now, today, if you see all that is happening, you will find 90 per cent of the people leading a primitive life or sub-human existence, and 5 to 10 per cent of people living in a technologically, extraordinarily, advanced, world. This is no progress. This is not the India we wanted to build. So, if you really want to have a reform, it has to be a total reform, reform of the system as a whole reform of our thinking, reform of the Indian mind. It is not possible to conceive of reform in isolation. Our friend has said :

"कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी'

He also quoted :

"यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से

अब तक मगर बाकी नामोनिशाँ हमारा"

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,

यों तो रहा दुश्मन दौरो जहाँ हमारा।"

But, I think the way we are proceeding this pride which we had in our *Hasti* is also going to be undermined, becaue the two great attributes, of *Tyaga* and *Tapasya*, the culture of contentment, compassion and fresh thinking, all these are now being mutilated. I am sure if we go on building our society on greed and garbage, then even this *Hasti* is going to be eliminated. Since the time you have indicated is already over, I do not want to elaborate it further, but all that I want to say is :

"न समझोगे तो मिट जाओगे हिन्दुस्तान वालो,

न रहेगी दास्ताँ भी आपकी, दास्तानों में"

Now, if you want this thing to happen, then you can follow what you are following. Otherwise, you must have a total reform in the system Then only you can really have a reform and turn a new page in your history.

The second point which I want to make is that we have already paid a very heavy price for not being vigilant in the past. I remember, in 1987-88, I had been sending, what I call, warning signals to the Government asking it to realise the emerging trends of terrorism. The Afgan war is coming to a close and so much of arms and ammunition which are there and the new pattern which is being woven around us has to be taken care of. One is the attack by the invisible hand of Adam Smith in the economic system which we are suffering. The other is the attack by the invisible armies. Now, you are not going to fight this by the conventional weapons. You are going to fight "invisible arms" in the techniques of terrorism the techniques of organising internal subversion and by all types of these methods. We are not taking this challenge seriously. There is no mention in the Address of the President saying that these are the dangers. And there is no outline about how to meet those dangers. Look at the India all around. The subversive forces, the forces of terrorism are coming, There are so many weapons now. There are two million AK-47 between Pakistan and Iran, According to the Americans themselves, 65,000 tonns of sophisticated light weapons were poured into Afghanistan per year till 1987 through the ISI. The ISI has siphoned off 35 per cent of those weapons into India. With the presence of highly sophisticated light weapons, we are not re-equipping our army and para military forces to meet this challenge. Even from Manipur, Nepal, Rajasthan and from out coasts, all types of RDX and other explosive materials and all types of wireless sets and so on are coming into India. We are not realising this danger of internal subversion. We are not realising the amount of money these people have at their disposal through drugs and other things. So, all that I would like to point out is that there are a lot of statistics that are available, show that with the new sophisticated technique the whole system can be subverted from inside and the loyalty of the Services can also be subverted from inside depending upon the caste differences, other differences and the economic differences. So, the country will face not an attack by a regular army but by these types of invisible armies. Since the time is limited, I will also refer to . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA) : Your time is already over.

SHRI JAGMOHAN: O. K. Thank you very much for being considerate. I will make this last point though I have a large number of points to make. My last point is about the Human Rights Commission. My stand is, yes, if any excess is committed, it is our duty as a civilised nation, as a good Government to take action against those who commit lapses or go beyond the norms of disciplined behaviour. But I will like to ask why this Act does not contain provisions for punishing those who mischievously and falsely make accusations to demoralise the set up. If I make a false allegation against my friend, maybe in a police report, tomorrow I can be hauled up for making a false report against somebody. But no action can be taken against me if I defame the whole nation, if I defame the para-military forces, if I defame every body. Why not ? Please take action. Please make provision in the Act for punishment of those persons who make false allegations. I have recorded about these allegations in my book. So many allegations were just coined and fabricated. They were meant to demoralise our paramilitary forces. There are so many Press people going around in this country who go on jotting down the report about them. For example, a write-up had been circulated all over the world saying that the BSF has said, "Kaho Jai Mata Ki" and "drink sura ". Everybody here who has got a little knowledge knows that the BSF has no woman wing. But nobody in our Embassies abroad has contradicted this report. I will give you one instance which I had mentioned in this House earlier also. But neither the Opposition nor the Government has taken any action on this matter. It is so clear. The so-called ex-Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court takes a petition from somebody and files it before the Jammu and Kashmir High Court. It is nothing but a Pakistani propaganda. He has taken a Pakistani pamphlet and filed it as a writ petition. He said that Indians have occupied Kashmir by fraud and deceit, killed 'freedom fighters', committed

all types of wrong things and so on. He doesn't recognise the Indian Constitution. He calls it work of an "upstart". The High Court has issued notices to all the persons concerned on this instead of taking action against that person for committing sedition and for making false allegations againt the authorities. The High Court issued notices ! You have hauled up Mr. Ramaswamy for taking a few towels and for doing some wrong things. But you have not taken any action against the person who has filed this writ petition. This writ petition mentions about what the ex-Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court said on atrocities committed by the Indians. This writ petition has now been reprinted and circulated all over the world. I want to ask Members : "Are we discharging our duties in this House ? Why don'ts we bring forward a motion for impeachment of those Judges who have issued notices ? " If I am sitting in the United States, if I get this writ petition, if I have this ex-Chief Justice, if I get a copy of the notice from the High Court in my hand, then, everybody would believe in what has been stated here. Here we are so indifferent and casual.

After four or five years, now everybody has gone to Geneva. We have suddenly woken up. I am surprised even the Government counsel did not appear before the High Court so that this gentleman could be prosecuted. Now this is the technique which they are employing. I have written about this matter to the Government. But they have not taken any action. I had placed it on record.

What about the Opposition ? Why have they filed a petition to prosecute those people who have issued notices like this ? The ex Chief-Justice is getting all privileges from the Indian exchequer. H e is drawing his pension. If the attitude of the Government is soft and permissive, if the Government allows such a type of people to ridicule the country and expose them to all types of wrong accusations, then, it is not at all a correct attitude. If the accusations were true then one could understand. Then we would have admitted the accusation. But they are not true. When Parliament had passed a resolution that Kashmir is an integral part of India, why is the Government of India silent on this type (ex C-J's) of propaganda ? I will conclude because you said five or six times that I should conclude. Well, Sir, you are aware that I am a nominatd Member, nominated by the President of India. I do not speak on many occasions. I speak only on those occasions on which I think, I can contribute by virtue of my experience. I have got so many administrative matters to mention here and what the deficiencies are in our administration. Since I have no time to mention those things, I would not do so. I will keep quiet. But in future while allocating time please see that I am given more time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA) : The total time given to Independent Members was 35 minutes. You have already taken 16 minutes.

SHRI JAGMOHAN : I thank you for being considerate towards me..... (*Interruption*) .... All right. My only plea is that since none of my friends is here....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA) : Mr. Upendra said that he would speak on the 7th March. Prof. Saurin Bhattacharya said that he would also speak on the 7th March.

SHRI JAGMOHAN : I do not want to prolong it. My point is that whenever a Member starts a propontion he should have time to complete that proposition. There are so many other points which I had, but because of paucity of time, I could not touch upon them. But whatever I touched upon has to be explained. Thank you very much.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman Sir, I will try to be as brief as possible. Sir, according to me, the President's Addres in nothing but a honey-tipped neem nut. We have accepted so many things and as a Membes of Parliament, I have seen during the last three, four years that the President's Address is nothing but a routine affair. Some of the hon. Members stated that the President's Address is meant to take stock of the things for the last one year. What happened in the last year and what the Government proposes to do in the year to come. It is devoid of all these particulars which we expect as Members of Parliament, elected by the people. Sir, the first point which I would like to submit is with regard to the Securities Scam in which at least Rs. 8,000 crores were involved, according

to the CBI. But the finding is that this money has been taken out of India by some foreign banks, by some intermediaries, the Reserve Bank officials and so on and so forth. But the President's Address does not speak a word as to how to recover this money. The assessment of other agencies is that the amount involved may be more than Rs. 8,000 crores. But I am sorry to say that we could not find anything regarding the Securities Scam in the President's Address. We must be specific about certain personalities who have been identified in the Joint Parliamentary Committee report—two Ministers and the Finance Minister. There is a reference in the report. I do not want to go into the details of that. But the Ministers in turn have stated : "No, no, we are not responsible. Why should we resign on the basis of mere allegations made in the report ? We are not going to tender our resignations on the basis of this report." That was the attitude of the two Ministers. But the Finance Minister thought it fit to tender his resignation on moral grounds. He spoke in a lighter vein about it and it finds a place in the JPC report. He thought ithis moral responsibility and resigned on that count. He said : "I am embarassed as a mention has been made about me in the report and I think I should tender my resignation. "These are two contradirartory statements of the Miniters of the same Government. The people whose names really find a plce in the report, did not think it proper to act according to the report. In the JPC report, at page 291, it has been stated and I quote : "The ONGC funds have been deployed in two transactions—the Oman International Bank, Rs. 30 crores and the State Bank of Hyderabad, Rs. 20 crores—both put together comes to Rs. 50 crores." The concerned Minister said, "No, no. Nothing has been done. After all, that is merely a report. You throw it in the dustbin." "But the Finance Minister said : "I am morally responsible for this occurrence and I am resigning." Everybody thought that his resiganation would be accepted and some norms have been established and democracy has some life. But he said, it is left in the hands of the Prime Minister to take any action on the resignation. As usual, we are not taking decisions quickly. We take decisions only in certain matters which I am going to highlight at a later stage and we have succeeded also in that respect. That is, with regard to trading. We have traded very successfully. To that, I will come later. But the two Ministers have said, "We have nothing to do with that." "But, unfortunately, one of the former Ministers, who had taken some shares in the name of his relation, had to tender his resignation and his resignation was accepted. This thing had happened before the Securities Scam. But the Ministers whose names find a place in the report are not ready to accept it. Nothing has been mentioned in the President's Address about these things. I have not been able to understand why there has not been mention of the Securities Scam in the President's Address. That is an important fact which should have been highlighted in the Address. The Ministry headed by Shri P.V. Narasimha Rao was tottering in the beginning. It was a minority Govt. It could not be said that it was in majority in the beginning. But now, this Ministry is in majority. This has been brought about because of an exodus and we are the people, who made the anti-defection law. The anti-defection law was passed by this Parliament. But there are some loopholes in the law and the ruling party has made the best use of those loopholes. In the beginning, two or three people joined, But later on, the number went up to tweleve. So, there was an exodus. If one-third of the Members of a particular party join some other party, then it is not a defection. As per law, it is a split. So they can easily change their party as well as loyalty and become Ministers. Now, the Union Government is secure for another two years because of this exodus. Now, an effort is being made to lure the eleven Members to join the Congress party voluntarily. The present Central Ministry had survived three "No Confidence" Motions and at various stages, various parties supported the ruling party for various reasons. The whole world knows for what reasons these parties have supported the Government. This Government has survived three "No-Confidence" Motions. The very same party helped the Government last week at the time of Division on a particular Bill. Those peple thought it fit to support the Government. They went out of the House and did not vote against the Government. But these are the people who have been criticising the Government day in and day out saying that this Government is doing this and this Government is doing that. For the purpose of getting a ministerial berth, there is an exodus. Ten people have already joined. So, if you are

able to change your party and loyalty and join the party in power, you will be rewarded suitably. It is now an established fact. It has become a tradition. No whisper has been made about this in the President's Address.

Another important point is about the language issue. The people in the North might think that the people from the South, particularly from Tamil Nadu, always keep on harping on the imposition of Hindi. The other day, when I spoke in Tamil, all the people were aghast because they were not able to understand as to what I spoke. Then I said : "You do not understand my language and I do not understand your language. That is why English should continue." You must understand this fact. The Minister concerned was not able to understand my language because no interpretation facility was available on that particular day. On the language issue also, the President's Address is mute and silent. I want to pose one question to this august House. Do you want *India or do you want Hindi ?* If you say that you want India, then I must respectfully submit to the Hindi zealots that the Government should not impose Hindi. What is the use of imposing Hindi ? If you go through all your literature your achievements and your elaborate category of languages as such, I do not think you are, in any way, fit. How much percentage of the people in India know Hindi ? And you say, the people should learn Hindi ! This morning also, there was a Special Mention. When I say, the Tamil Nadu people say, on T.V. you are giving more time to Hindi programmes than to Tamil programmes, you have reduced the duration of the programmes in Tamil, when we say we are going to walk out, the Minister comes and says, "No, no; we are increasing the time by two hours." At the same time, what happened this morning ? My learned friend, Shri K.K. Veerappan, raised an issue. He pointed out that in Tamil Nadu, formerly and till date, they have been issuing the forms for railway reservation in Tamil. Now what made this Government to issue these forms only in Hindi ? That shows how the Hindi zealots have tried, at various points of time, to impose Hindi forcibly. They think they can easily thrust this language upon the Tamil Nadu people. Sir, I warn the Central Government and also the people who are zealots of Hindi that they can impose Hindi on non-Hindi speaking people. We are not against Hindi. We are ready to learn Hindi, but it should be optional We can learn the language. We are not against learning any language. But when you want to thrust it down someone's throat or on a particular State, we oppose it. It is not that now only we are having this agitation against the impositon of Hindi, but it is as old as 1937. So this agitation was there and we had made the agitation. And the first amendment was carried out during Nehru's time. When you say, "Now we are responding." we say, "No no, you are not respecting Nehru's assurance you are not respecting Indira Gandhi's assurance." That is why I urge, "If you are really interested in having the unity of India, don't impose Hindi, but make all languages under the Schedule of national languages. That is the only solution. Sir, I have found in this House during the last four years that even the people who know English do not want to talk in English. They only speak in Hindi That shows their adamant attitude, that shows their imperialistic attitude. That shows, they want to see that this language must, somehow be thrust upon the people against their will Against their will you cannot do anything The same thing was pronounced by Shri T.T. Krishnamachari. He said, "Do you want Hindi or India ?"

Sir, another thing I want to submit is this Shri C. Rajagopalachari, who was the last Governor-General was a person who brought Hindi in Tamil Nadu in 1937. He was the same person who had coined the slogan "Hind never, English ever." But you cannot forge it for a moment. Shri Ragagopalachari was an astute politician and you cannot deny his services to the nation. And the very same Rajagopalachari had himself said, "Hindi never, English ever." Therefore, on the language question also, Sir, the President's Address is significantly mute and silent. Sir, it is also a very urgent problem and a burning issue, so far as Tamil Nadu is concerned; you cannot forget it. Sir, I also want to clarify to my friends who come from the North, especially my Hindi-speaking friends, that we are not against Hindi but we oppose the imposition of *Hindi, we oppose the imperialistic attitude* of the people who are thrusting Hindi upon the Tamil Nadu people.

One gentleman was telling us the other day 'No, no, we do not want the imposition of

English." Don't read English. We are not imposing anything. You are in a position to impose Hindi. We are only in a begging position to oppose but don't think that we will be opposing for ever.

The same persons who are today in an opposing position become masters one day. Therefore, I say, you must take this language issue very seriously. The President's Address is disappointing on this aspect also.

Sir, the third thing I want to mention is' there is no provision about unemployed persons. What are the proposals for the educated unemployed persons ? About 30 lakh persons are educated unemployed in the year 1990. Sir, we are in 1994. What is the proposal we are having for them in this Address ? There is nothing except some rozgar yojana or a mention of some banks; you can go and borrow some money from them; start some small scale industry and try yourself. Sir, is that the way ? Every year, thousands and thousands of young people are coming out of colleges. When you have started opening self-financing colleges, they are selling the degrees. For MBBS course, one has to give five lakhs of rupees for admissi on. !

6.00 p. m.

In that case, when they become doctors, what will be their fees ? So, people are coming out of the colleges and unemployment is swelling. You have not proposed anything for them. You have just shown them some banks and asked them to go to the banks and take some loan and start their work. Is it going to solve the problem of unemployment ? It is not going to do anything. Nothing has been mentioned about it in the President's Address.

There is another problem, Sir, with which you will also agree with me. The number of persons who are above 60 years of age has increased. Certainly it has become a very big problem. The joint family has been tampered with on the basis of Western civilization. Nowadays, no son or no daughter, wants to stay with his or her parents. As soon as they get some job they fly away. It is creating a big problem. A lot of people are there in that category. So, they should be provided proper accommodation. In this age, they only want love and affection and good houses to live in. But the President's Address has not mentioned thing about them.

Now, I come to industrial development. I 1993, industrial development was 3.8 per cent But now it has gone down to 1.6 per cent. Sir, they are saying that the multinationals will come to India. These multi-nationals will drain our country. This Dunkel Draft was opposed by everybody. Even the Standing Committee of Commerce also opposed it. We said, "Please, don't sign it. It is a death warrant." Instead of all this opposition, the Government did not look into the matter. They said that it was a good proposal and India would flourish. Yesterday, there was a rally which had opposed the Dunkel Draft. The Government should give a second thought to it. This Dunelk Draft should not be implemented in India. Every effort should be made to stop it. Otherwise, the multinationals will plunder our nation. Certainly it is a dangerous signal. The Government should also take this point into consideration.

Sir, there are about 4.40 crore child labourers in the country. The Government has not done anything for them. They have not done anything for the people working in industries, factories, cracker factories,kilns etc. There are about 3 crore orphans in our country. But nothing is mentioned about it in the President's Address. What will happen to these growing children ? What have you done for-the child labour ? What are you going to do for them ? The President's Address is silent about it.

Sir, some fight is going on between the Chief Election Commissioner and the Government. Earlier there was only one Chief Election Commissioner. But two more Chief Election Commissioners were appointed. Although there are three Chief Election Commissioners, all the work is done by only the Chief Elcction Commissoner. Even the Cabinet Ministers are going to the Chief Election Commissioner with residential certificates.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA) : Please conclude.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATARAMAN : Apart from that, they have no uniform prohibition policy regarding liquor. I think they have forgotten Mahatama Gandhi. Liquor is simply flowing. It is available. Country liquor is available on the road sides. What is our liquor policy ? We have forgotten

Mahatma Gandhi. We have forgotten his policies. We have a prohibition policy in the Statute Book. The President's Address is silent in this regard. I would say that this Government is very powerful. A Tribunal gives an award, yet we do not get a drop of water. The Cauvery issue is being dragged on and on. It is dragging just like the Ramayana. It seems to be going on for ever. In spite of the iterim order, we have not received a drop of water. This Government changed Ministers. It said, "Let this man be there for some time." But this Government is not able to say that the interim order must be adhered to. This is the kind of perfection that they have achieved. They do not have the backbone. You are at the Centre and you can force it upon them. After all, this is an award which was given by the Tribunal. It is not as if you have given it. You are not able to implement it. This is the ability of the Central Government. Now, coming to corruption charges. Corruption charges have been levelled against several Ministers and against the Chief Minister of several States. Take the example of Tamil Nadu. Our leader had submitted 18 charge duly documented against the present Chief Minister, Ms. Jayalalitha in September, 1992 seeking permission to file a case. But that gathered dust when Mr. Bishma Narayan Singh was the Governor of the State. Now the ruling party Members have also levelled a few charges against the Chief Minister. What has happened to that ? It is simply gathering dust. Whether it is the CBI or some other body, nothing ever happens. We are not worried about corruption. But we speak that there should be no corruption. We have levelled corruption charges against the Chief Minister along with evidence; yet, the Government has done nothing about it. It is not prepared to take action. It is soft-pedalling the issue so that they can have electoral alliances with the party in the years to come. At present, a bridge is being constructed. Some Members of the ruling party say, "No, we will not have an alliance with the AIADMK." Members are against it. They say that these people have demoralised us and have played mischief. They say, "We have lost our self-respect in Tamil Nadu; therefore, there should be no alliance." Their only concern is to see that their seats are intact. Whether it is the Chief Minister or the Prime Minister, all they want is to save their seats. They want to be in a position of command. But the people are watching you quietly. We are going to have a silent revolution. All those who your think are not wise enough will rise in revolt. They will agitate. That day is not far off. This is the red signal that I am giving on behalf of the DMK party. I am giving a warning.

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : श्री रजनी रंजन साहू । पांच मिनट ।

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, श्री एस० एस० अहलुवालिया द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री जी श्री नरसिंह राव जी की सरकार की उपलब्धियों की कतार में कई एक ऐसी आवश्यक तथा मौलिक-फुल उपलब्धियां पिछले सालों में हुई हैं, जो सराहनीय हैं । कई बातें ऐसी हैं जो लिखी नहीं गई हैं, वह उपलब्धि अपने आप अनूठी है । जैसे गांधी जी की प्रतिमा संसद् भवन के प्रांगण में प्रस्थापित कर गांधी विचारधारा को संसद् में बहाने का प्रयास किया गया ।

दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की पिछले साल में हुई, वह थी अम्बेडकर जी की जन्म तिथि पर गजटेड हौली-डे घोषित करना और जहां अम्बेडकर जी का जन्म-स्थान है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मंत्री ।

श्री रजनी रंजन साहू : वह पर एक मेमोरियल बनाया जा रहा है । तीसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की कही जा सकती है, वह है पिछड़े वर्ग का पहला अपाइंटमेंट सेंट्रल सर्विसेस में किया गया । उपसभाध्यक्ष जी, यह सब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है, पर यह सामने दिखता है और जिस बात के लिए हमारे पूर्व प्रधान-मंत्री श्री वी० पी०

सिंह वनवास लिए हुए हैं, उस काम की पूर्ति की गयी । मेरे जो साथी उधर बैठे है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अब तो सेंट्रल सर्विसेस में पिछड़े वर्ग की बहाली हो गयी, इसलिए अब वह वनवास से वापिस आ जाएं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अभी तो वह विदेश में हैं ।

श्री रजनी रंजन साहू : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सब उपलब्धियां देखने में छोटी मालूम होती है, लेकिन हर ऐसी छोटी बातों के पीछे बड़ी बातें छिपी रहती है जैसे कि हर वृक्ष के लिए एक बीज की आवश्यकता होती है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आर्थिक उदारीकरण के बारे में हमारे कई साथियों ने यहां पर जिक्र किया है । मुझे जगमोहन जी के विचार सुनने को मिले । माननीय सदस्य काफी विद्वान है । एडमिनिस्ट्रेशन में भी रह चुके है, लेकिन जिस तरह का परसेप्शन उनका उदारीकरण के बारे में है, मैं कहूंगा कि उन्हें परसेप्शन को बदलना चाहिए । उपसभाध्यक्ष महोदय, 44 साल में प्रजातंत्र के तहत इस देश में जो उपलब्धियां हुई हैं, वह अपने आप में सराहनीय हैं । विश्व में प्रजातंत्र के तहत जितनी उपलब्धियां इस देश में हुई है, वह विश्व के किसी भी देश में नहीं हुई है । हमने जिस तरह से मैक्रो-इकॉनोमी को डवलप किया है उदारीकरण के माध्यम से, उसके तहत हम विश्व के बाजार में अपने आपको खड़ा कर रहे है । हमने माइक्रो इकॉनोमी पर आधारित लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं । हमने सभी गांवों में पीने का पानी टैक्नीकल मिशन द्वारा पहुंचाने का संकल्प लिया हुआ है । इतना ही नहीं हरिजन-मुक्त शौचालय का भी काम गांवों में हमारी सरकार कर रही है । सेनीटेशन की व्यवस्था के बारे में भी शहरों में जो कार्यक्रम चल रहा है, वह सराहनीय है । राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में जो राष्ट्रपति जी ने कहा है, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं---"इस के लिए राज्य सरकारों, अग्रणी नेताओं, गैर-सरकारी संस्थाओं और समाज के सभी वर्गों की ओर से बहु-आयामी एवं बहु-क्षेत्रीय प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ।" उपसभाध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन कार्यक्रम, एक बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम है और जब तक हम अग्रणी नेता और सभी दल के लोग इस ओर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक देश की जो समस्या है, उसका समाधान होने में कठिनाई हो सकती है । इसके लिए मैं चाहूंगा कि शेषन साहब इनमें हस्तक्षेप करें । वह अग्रणी नेताओं पर प्रतिबंध लगाएं कि जिनके एक-से-अधिक बच्चे होंगे वह ग्राम प्रधान से लेकर संसद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : यह तो कानून बनाइए, उससे हो सकता है ।

श्री रजनी रंजन साहू : आजकल शेषन साहब बहुत तरह के अंकुश लगा रहे हैं । इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहूंगा कि वह यह भी एक अंकुश लगाएं । कानून बनाने में काफी विरोध होगा, लेकिन अगर उनके यहां इलेक्शन कानून में कोई प्रावधान हो तो उसको लगा दें क्योंकि यह बहुत आवश्यक हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार की गौरवमयी उपलब्धियों के लेखेजोखे के बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे अन्य साथियों ने इस पर चर्चा की है । एक बात मैं अवश्य बता देना चाहता हूं कि यदि राज्यों में विसंगतियां एवं कमजोरियां रहीं तो हमारी जितनी भी उपलब्धियां हैं, वह सब बेकार हो जाएंगी । जैसा कि आप जानते हैं, मैं बिहार राज्य से आता हूं । राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का एक ऐसा अवसर होता है कि हम जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस अवसर पर राज्यों की खूबियों और खामियों का भी हमे विवरण रखने का मौका मिलता है । बिहार राज्य के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बिहार की हालत क्या है ?

हमारे पासवान जी यहां बैठे हैं, वह बेचारे अब अगले साल यहां सदस्य नहीं रहेंगे, वह बताएं कि जो मैं यहां कह रहा हूं यह सही है या नहीं ? बिहार की हालत पिछले सालों में अत्यन्त दयनीय हो गई है और वह इसलिए कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के हाथ से शासन की स्थिति बाहर हो चुकी है। बिहार में आज विकास कार्यों की गति लगभग ठप्प हो गई है, अपराधों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, किसान, गरीब हरिजन आदिवासी, अल्पसंख्यक, भूमिहीन किसान मजदूर सभी के हित की उपेक्षा की जा रही है, आर्थिक ढांचा चरमरा चुका है, वित्तीय अनुशासन समाप्त है। उद्योगों की अधिकांश इकाइयां, जो बिहार राज्य क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन एवं बिहार राज्य इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन के तत्वाधान में शुरु की गई थीं, वह सब बंद हो गई हैं। यहां तक कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आई०डी०पी०एल०, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, सब के सब बंद होने के कगार पर हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजना विकास का मुख्य आधार होता है। पिछले तीन वर्षों में योजनाओं पर व्यय के लिए 6,259 करोड़ रुपए का उद्व्यय निर्धारित हुआ था, उसे पुनरीक्षण करने के बाद 2700 करोड़ किया गया, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस पुनरीक्षण राशि में से 2000 करोड़ से अधिक की राशि बिहार सरकार द्वारा खर्च नहीं की जा सकी। पिछले साल की हालत तो और भी दयनीय है। वर्ष 1993-94 के लिए 2300 करोड़ रुपए की योजना पुनरीक्षित होकर 1200 करोड़ पर लाई गई और सदन को जानकर आश्चर्य होगा कि जनवरी, 1994 तक राज्य सरकार द्वारा केवल 485 करोड़ ही खर्च किए गए और इसमें से 374 करोड़ रुपया तो तनख्वाह पर ही खर्च किया गया, सिर्फ 25 या 30 करोड़ रुपया विकास के कार्य पर खर्च किया गया। इससे समझा जा सकता है कि बिहार के विकास कार्य के लिए 6,259 करोड़ रुपए का उद्व्यय तीन साल पहले किया गया था वहां आज तीन साल के अंदर मात्र 485 करोड़ बिहार सरकार खर्च करने जा रही है। तात्पर्य यह हुआ कि विकास का काम बिहार में ठप्प है। जब राज्य का विकास ही नहीं होगा तो खाद्यान्न उत्पादन कहां से होगा ? मूलभूत संरचना में सुधार कहां से आएगा ? ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग कहां से की जाएगी ? इसलिए आज कहा जाता है कि बिहार राज्य के लोग व्यग्र हैं, पर उग्र अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन व्यग्रता और उग्रता में एक बहुत ही क्षीण रेखा है। हो सकता है कि वह उग्रता की ओर अग्रसित हो जाएं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सामाजिक समरसता और कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए वह काफी घोषणा करते हैं, पर आई०आर०डी०पी० पर होने वाला खर्च वर्ष 1993-94 के लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। इस मद के लिए आवंटित 161 करोड़ रुपए में से कुल 26 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके हैं। यहां पर चार लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था, वहां केवल 76 हजार परिवारों को लाभ पहुंचाया जा सका है। इतना ही नहीं जवाहर रोजगार योजना के कार्यक्रम के कार्यान्वियन में भारत सरकार से प्राप्त 590 करोड़ रुपए में से कुल 293 करोड़ रुपए विभिन्न जिला मुख्यालय को भेजे गए और करीब 287 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा दूसरे मद में खर्च किए गए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : साहू जी, आप कृपया समाप्त करें।

श्री रजनी रंजन साहू : बाकी कल ? आप हमको दो मिनट दे दीजिए तो खत्म कर देंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : चलिए, दो मिनट में खत्म कर दीजिए। फिर कोहली साहब बोलने वाले हैं।

श्री रजनी रंजन साहू : दो मिनट में खत्म कर देता हूं। कोहली साहब तो बोल चुके हैं शायद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : नहीं, नहीं बोले हैं।

श्री रजनी रंजन साहू : शायद बिहार की बात आपको अच्छी नहीं लगती। . . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : ऐसी बात नहीं है। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री रजनी रंजन साहू : तो मैं कह रहा था कि राज्य सरकार भारत सरकार का पैसा दूसरे मद में खर्च करती आ रही है। इस संबंध में मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस बात की जांच होनी चाहिए। डायवर्सन आफ फन्ड जो हुआ है, उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है ? भारत सरकार का रुपया क्यों डायवर्ट किया जा रहा है ? इस 293 करोड़ रुपए में से महज 190 करोड़ रुपए के खर्च की सूचना मिली है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र से पूरी राशि मिलने के बावजूद राज्य सरकार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवासों का निर्माण नहीं कर सकी है। 1992-93 में 50 हजार आवास के निर्माण का लक्ष्य था पर 12 हजार ही आवास निर्मित किए गए हैं। 1993-94 का लक्ष्य एक लाख आवास के निर्माण का था, पर 25 हजार से अधिक आवास निर्मित नहीं किए जा सकेंगे। केन्द्र द्वारा आवंटित 145 करोड़ रुपए में से दिसम्बर, 1993 तक सिर्फ 45 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं।

भारत सरकार एक ओर कृत संकल्प है कि हरिजनों का उत्थान हो और उनके लिए विशेष सहायता राशि का प्रावधान बजट में किया जाता रहा है। बिहार सरकार की निर्ममता की हद यहां तक पहुंच चुकी है कि इस अंगीभूत योजना के लिए 1993 के समाप्त हुए वित्त वर्ष में बिहार सरकार ने 18.35 लाख रुपए की राशि सिविल डिपाजिट में रख दी और इसका उपयोग ही नहीं किया। केन्द्रीय कल्याण मंत्री के बार-बार तकाजा करने के बाद भी बिहार सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इतना ही नहीं कोषागार से लेखा प्राप्त नहीं होने के कारण भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार को भी बिहार जाना पड़ा और स्थिति का जायजा लेना पड़ा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इतनी अवहेलना सारी बातों की हो रही है और भारत सरकार चुपचाप एक मूकदर्शक की तरह बैठी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993 में गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वित्तीय उपलब्धियां 17 प्रतिशत और भौतिक उपलब्धियां 20 प्रतिशत ही हुई, जबकि केन्द्र ने 1600 करोड़ रुपए की विशेष योजना सहायता राशि दी थी और 145 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई थी। इसके अलावा 129 करोड़ की धनराशि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए दी गई थी। इस सारी राशि को खर्च करने के बाद भी बिहार सरकार सिर्फ 20 प्रतिशत लोगों को फायदा पहुंचा सकी है।

यह तो था बिहार को दुर्दशा, आर्थिक एवं विकास कार्यों के संबंध में। अब मैं लॉ एण्ड आर्डर की जो स्थिति है, वह बताना चाहूंगा। 1993 में संगीन अपराध की संख्या दो लाख तक पहुंच गई है जबकि 1992 में यह एक लाख 36 हजार थी। अपराध में 20 प्रतिशत की वृद्धि, हत्याओं में 29 प्रतिशत की वृद्धि और अपहरण में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विकास में इसी तरह से पीछे की तरफ वृद्धि हुई और अपराध में बिहार . . (**व्यवधान**)

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa) : He is talking on all subjects concerning Bihar.

श्री रजनी रंजन साहू : पिछले साल में भूमि विवाद एवं न्यूनतम मजदूरी की 300 घटनाएं हुई, जिसमें 250 लोग मारे गए। जातीय संघर्ष 210 हुए और 175 लोगों की हत्या

हुई । उग्रवादी घटनाओं में 200 लोगों की जानें गई । हमारे मुख्य मंत्री इन सब बातों से अपने को किनारे रखे हुए हैं और भारत सरकार पता नहीं किस लिए चुपचाप बैठी है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

गृह मंत्री यहां नहीं है, लेकिन मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इन सारे तथ्यों को, जो मैंने आंकड़े इस सदन के सामने दिए हैं, वे उन की जांच करवाएं और तत्काल बिहार सरकार के ऊपर कार्रवाई की जाए ।

विकास के क्षेत्र में संबंधित एक दो बातें और कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा । रेल मंत्री ने बिहार की बड़ी उपेक्षा की है । राजगीर से बोध गया तक बड़ी लाइन बड़े दिनों से लंबित है । राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्थल है. . . (व्यवधान) . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : यह तो आप रेलवे बजट में बोल दीजिएगा ।

श्री रजनी रंजन साहू : रेलवे बजट में मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोगों के यहां बड़ा प्रतिबंध है, बोलने ही नहीं दिया जाता है, इसलिए मैं इसी में अपनी बात कह देता हूं ।

आपको मालूम है कि राजगीर-बोध गया अंतर्राष्ट्रीय स्थल हो चुका है । विश्व शांति स्तूप वहां सरकार बनाने जा रही है और जापान सरकार ने जो रुपया दिया है विश्व शांति स्तुप बनाने के लिए, वह रुपया भी बिहार सरकार डाइवर्ट कर चुकी है, यह अंतर्राष्ट्रीय फंड जो आ रहा है, उसको भी वह डाइवर्ट कर चुकी है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इन सारी बातों, को भारत सरकार गंभीरता से लें । बिहार सरकार की ओर से मांग आई हुई है कि वहां जोनल रेलवे की स्थापना की जाए मैं उसका भी समर्थन करता हूं और जो केन्द्रीय यूनिट वहां है, जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स वहां बन रहे हैं, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा चाहूंगा कि बिहार में कम से कम जो संस्थान इस तरह की है, उन्हें बंद न होने दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका और सदन का आभार मानता हूं । जो बिहार के बारे में आज मैंने तथ्य किया था कि कुछ बातें सदन के समक्ष रखूंगा जो रिकार्ड में आए और इस पर भारत सरकार जांच करे । मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति अभिभाषण के संदर्भ में जो बातें मैंने कही हैं, उस पर विचार किया जाएगा । धन्यवाद ।

श्री शारदा महन्ती (उड़ीसा) : साहू साहब यह आपका स्पेशल मेंशन था या प्रेजीडेंट एड्रेस पर धन्यवाद प्रस्ताव ?

श्री रजनी रंजन साहू : आपको मालूम होना चाहिए कि आप रिप्रजेंट करते हैं स्टेट को, स्टेट की हालत को आपको बताना होगा इस सदन में । आप स्टेट के प्रतिनिधि हैं ।

श्री ओ० पी० कोहली (दिल्ली) : उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ा । हम उम्मीद करते थे कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश की असलियत का सही चित्र प्रस्तुत करेगा, लेकिन यह अभिभाषण पढ़कर निराशा हुई—तीन कारणों से । पहला कारण यह है कि इस अभिभाषण में कोई परिपेक्ष्य या पर्सपेक्टिव है ही नहीं, दूसरी निराशा इस वजह से हुई कि यह अभिभाषण देश की वस्तु-स्थिति को, असलियत को प्रतिबिंबित नहीं करता और तीसरी निराश इस वजह से हुई कि देश की बहुत सी गंभीर समस्याओं को और महत्वपूर्ण मसलों को यह अभिभाषण पूरी तरह से अनदेखा करके चलता है, किनारा करके चलता है, उनको स्पर्श भी नहीं करता । राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण म न जाने किस आधार पर एक बहुत गुलाबी आशा भरा चित्र प्रस्तुत करने की कोशिश की है । उन्होंने अपने अभिभाषण के पहले पैराग्राफ में ही यह कहा है कि—"1993 का वर्ष समाप्त होते-होते निश्चित ही आशा की किरण सामने

दिखाई देने लगी । " जिस समय देश में चोरी और आर्थिक मोर्चे पर, देश की आंतरित सुरक्षा के मोर्चे पर अंधकार छाया हो उस समय सरकार को आशा की किरण दिखाई देती है, यह अंतर्विरोध समझ में नहीं आता । राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में जिक्र करते हैं कि– "ये हमारी उभरती हुई आशावाद के प्रतीक हैं ।" इस उभरते हुए आशावाद का भी कोई ठोस आधार अभिभाषण में दिखाई नहीं पड़ता । इसी तरह से वे जिक्र करते हैं कि–"हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ऊर्जा को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विश्वास को फिर से प्राप्त कर लिया है ।" जो देश कर्ज के बोझ में दबा हो, जिस देश में 90 फीसदी लोगों को जिंदगी जीने के लिए न्यूनतम और बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध न हों वह देश अपनी ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है । और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विश्वास को प्राप्त कर रहा है, इसका क्या आधार है, ऐसा कोई विवेचन इस अभिभाषण में नहीं किया गया है ।

उपसभाध्यक्ष जी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे को लें । बजट सत्र प्रारम्भ होने को था, उससे पूर्व एकदम असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से जरूरी चीजों के दाम बढ़ा दिए गए । ऐसा सभी चीजों के जो आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं । उद्योगों की क्या स्थिति है ? उद्योगों में वृद्धि दर मंदी पड़ी है । 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से रेंगते हुए हमारे उद्योग चल रहे हैं । रिसेशन, मंदी और ठहराव यह स्थिति हमारे उद्योगों की है । यात्री भाड़े में और माल भाड़े से प्राप्त होने वाले राजस्व में गिरावट आई है । विकास दर जो 1992-93 में थी 1993-94 में भी वहीं ठहरी हुई है । राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में कहते हैं कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास प्राप्त कर लिया है। किंतु डंकल प्रस्तावों के स्वीकार किए जाने के माध्यम से देश की संप्रभुता को, देश की स्वायत्ता को, देश की स्वतंत्रता को जब एक ओर गिरवी रखा जा रहा हो, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने विश्वास अर्जित कर लिया है ? विदेशी पूंजीपतियों को और उद्योगों को राहतें दी जा रही है । देशी उद्यमकर्ताओं के विरुद्ध भेदभाव बरता जा रहा है । विदेशी पूंजी ने देखते-देखते ही 35 भारतीय कंपनियां खरीद ली है । बहुद्देश्यीय कंपनियों का शिकंजा बढ़ रहा है । सरकारी खर्च में कोई कमी नहीं हुई, उल्टे सरकारी खर्च अनापशनाप, बेतहाशा तरीके से बढ़ रहा है ।

महोदय, 1993-94 का बजट ऐस्टीमेट जो है, उसमें नॉन-ऐक्सपैंडिचर 90072 करोड़ रुपए था लेकिन 1994-95 के बजट ऐस्टीमेट में नॉन-प्लान ऐक्सपैंडिचर एक लाख पांच हजार, एक सौ सत्रह करोड़ रुपए हो गया यानी 15045 करोड रुपये के नॉन-प्लान ऐक्सपैंडिचर की वृद्धि इस बात को जाहिर करती है कि सरकार का अपने खर्चों पर, अनप्रोडक्टिव खर्चों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है । हम उम्मीद करते थे कि देश में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50 प्रतिशत काला धन है, इस काले धन को निकालने के लिए और इसको प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल किए जाने की कोई सोच राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दिखाई पड़ेगी लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा और वह यह है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था पर से अपना नियंत्रण गंवा दिया है । कोई दिशा नहीं है आर्थिक विकास की, कोई दिशा नहीं है आर्थिक प्रगति की और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बजट अनुमान में और रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स में, बजट ऐस्टीमेट्स में और रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स में किसी प्रकार का कोई लॉजिकल रिलेशन दिखाई नहीं पड़ता, कोई तर्कसंगत रिश्ता दिखाई नहीं पड़ता । बजट ऐस्टीमेट, प्लांड ऐक्सपैंडिचर का कुछ होता है, रिवाइज्ड ऐस्टीमेटस

का कुछ होता है । दोनों में किसी प्रकार का रिश्ता नहीं । ऐसे ही नॉन-प्लान ऐक्सपैंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स, बजटरी डैफिसिट, रेवेन्यू डैफिसिट, फिस्कल डैफिसिट का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है।

अगर हम इनके 1993-94 के बजट ऐस्टीमेट और रिवाइज्ड ऐस्टीमेट देखें तो लगता है कि इन दोनों में किसी प्रकार का कोई तर्कसंगत रिश्ता नहीं है। मिसाल के तौर पर 1993-94 का नॉन-प्लान ऐक्सपैंडिचर बजट ऐस्टीमेटस में 90072 करोड़ रुपए था लेकिन रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स में 97846 करोड़ रुपए हो गया । इसी ढंग से रेवेन्यू डैफिसिट बजट ऐस्टीमेट्स में 17630करोड़ रुपए था और रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स में एकदम दुगुना हो गया यानी 34058 करोड़ रुपए । कहां 17630 करोड़ रुपए बजट ऐस्टीमेट्स में और 34058 करोड़ रुपए रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स में, एकदम दुगना कोई ताल्लुक ही नहीं इनमें। इसी ढंग से बजटरी डैफिसिट, बजट एस्टीमेट्स में 1993-94 में 4314 करोड़ रुपए था और रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स में दुगने से भी ज्यादा यानी 9060 करोड़ रुपये हो गया । ऐसे ही फिस्कल डैफिशिट 1993-94 के बजट ऐस्टीमेट्स में 36959 करोड़ रुपए था और रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स में 58551 करोड़ रुपए हो गया ।

ये इस बात को जाहिर करता है कि आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, नियन्त्रण खो दिया गया है, दिशा है नहीं, दिशाहीनता की स्थिति में हम चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब सरकार बजट पेश करती है तो उस बजट पर कैसे भरोसा किया जा सकता है ? उस बजट की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहती है ।

मैं एक विषय का जिक्र और करना चाहूंगा जिसका जिक्र हमारे सम्माननीय सदस्य श्री जगमोहन जी कर रहे थे और वह है देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा । मुझे बहुत हैरानी हुई कि इस पूरे के पूरे राष्ट्रपति अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर का जहां कहीं भी जिक्र है, वहां अमरीका के भारत विरोधी रवैये, अमरीका के भारत विरोधी बयानों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है ।

काश्मीर के सम्बन्ध में अमरीका का भारत विरोधी रवैया सरकार को दिखा ही नहीं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका जिक्र ही नहीं है । पैरा 6 में जहां जम्मू-कश्मीर का जिक्र किया गया है वहां यह बात कही गई है कि जम्मू-काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और हम इसमें सीमा पार से या अन्य किसी ओर से अस्थिरता पैदा करने के किसी भी प्रयास को निष्फल कर देंगे । केवल "अन्य किसी ओर से" का जिक्र किया गया है और अमरीकी नीतियों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है ।

इसी ढंग से पैरा 49 में पाकिस्तान के भारत विरोधी बयानों की भरमार का जिक्र है लेकिन अमरीका के भारत विरोधी बयानों के बारे में एक-दम अभिभाषण पूरी तरह से चुप है । सिर्फ इतना ही नहीं, पैरा 52 में अमरीकी रवैये की सराहना की गई है मानो अमरीका से हम लोग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं । कहा गया है कि हमारी आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के प्रति संयुक्त राज्य ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पिछले दो वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत में काफी निवेश किया है । यानी कश्मीर वादी में पाकिस्तानी रवैये का अमरीका समर्थन करता है और हम उस पर चुप्पी साधे हुए हैं । हमारी उदारीकरण की नीतियों की वाह-वाह करता है, उसकी हम सराहना करते हैं ।

उपसभाध्यक्ष जी, अखबारों की रिपोर्ट है कि डोडा में पुलिस लाइन पर उग्रवादियों ने रॉकेटों से हमला किया है । दिल्ली में आई.एस.आई. का नेटवर्क फैल चुका है । अवैध हथियारों की बाढ़ देश में आ गई है । काश्मीरी पंडितों के लौटने का कोई समय-बद्ध कार्यक्रम इस अभिभाषण में कहीं भी प्रतिबिंबित नहीं होता ।

सरकार कश्मीर वादी में स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिये किसी भी प्रकार की कोई ऐड-मिनिस्ट्रेटिव पूर्णता नहीं दिखा रही है। अफगानी उग्रवादियों की भूमिका कश्मीर घाटी में लगातार बढ़ रही है। आई.एस.आई. बंगला देश में प्रशिक्षण शिविर लगा रहा है ताकि पूर्वोत्तर में गड़बड़ पैदा की जा सके। इन सारी स्थितियों का पूरी अभिभाषण में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार के लिये कश्मीर की समस्या ऐक्जिस्ट ही नहीं करती या फिर वह काश्मीर की समस्या को घटाकर दिखाना चाहती है।

महोदय, हम उम्मीद करते थे कि देश के सामने उपस्थिति एक महत्वपूर्ण मुद्दे, चुनाव सुधार का जिक्र होगा। लेकिन पता चलता है कि सरकार आने वाले दिनों में चुनाव सुधारों के मुद्दे पर कोई ठोस कार्यवाही करना चाहती है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव सुधारों के बारे में पूरे मुद्दे की अनदेखी कर दी गई है। चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने 10 जनवरी, 1992 को जो सजेश्न भेजे थे उनका कहीं जिक्र नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि सरकार जानबूझकर चुनाव सुधारों को टालना चाहती है ताकि अल्पमत सरकार को बहुमत में आने के लिए जो ओछे हथकंडे होते हैं उनका इस्तेमाल करने का मौका मिला रहे।

उपसभाध्यक्ष जी, विदेश नीति के मोर्चे पर हमारी विफलता दो बातों से जाहिर होती है। एक भारत के आंतरिक मामलों में अमरीकी हस्तक्षेप का बढ़ना और दूसरा तीसरी दुनिया के देशों में भारत का नेतृत्व हाथ से निकल जाना। एक और चिन्ताजनक स्थिति जो बनी हुई है वह विदेशी मीडिया का भारत पर आच्छादित हो जाना है। एक इंफार्मेशन इंपीरियलिज्म, सूचना साम्राज्यवाद के रूप में। विदेशी मीडिया ही भारत में प्रवेश नहीं कर रहा है बल्कि उसके साथ लगी विदेशी रीति-नीति, विदेशी शैली और विदेशी जीवन शैली भी देश में प्रवेश कर रही है। उसके साथ विदेशी उपग्रह चैनलों की वजह से अप-संस्कृति का प्रचार होता है।

उपसभाध्यक्ष जी, बहुत चिन्ता की बात है कि देश की जनता ऊपर से नीचे तक व्याप्त भ्रष्टाचार से पीड़ित है।

लेकिन इस अभिभाषण में भ्रष्टाचार का कहीं उल्लेख नहीं है। भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के किसी उपाय का जिक्र नहीं है। लोकपाल व ओमबट्समैन की व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से चुप है। देश में आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार से सरकार कैसे निपटेगी, इसका क्या समाधान करेगी इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। एक बात का और उल्लेख करना चाहूंगा....

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa) : Mr. Vice-Chairman, Sir, except the Minister the entire Treasury Benches are empty. That shows their attitude towards parliamentary democracy.

श्री ओ० पी० कोहली : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश किया गया है उस पर तो बजट पर होने वाली बहस के दौरान जिक्र किया जायेगा लेकिन इस सदर्भ में रोजगार मोर्चे पर सरकार की विफलता का जिक्र करता हूं। इसलिए मैं इस डाकूमेंट यानी इस अभिभाषण का पैराग्राफ 27 की तरफ ध्यान दिलाता हूं। इस में दिया गया है। "शिक्षित शहरी युवकों को लघु उद्यमों में सतत रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से एक रोजगार योजना शुरु की गई है।" रोजगार योजना का क्या हुआ ? इस रोजगार योजना के अन्तर्गत एक लाख 95 हजार आवेदन-पत्र प्राप्त किये गये। उनमें से 41 हजार 275 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया। केवल दो हजार आवेदन पत्र मजूर किये गये। एक लाख 95 हजार में से केवल दो हजार आवेदन-पत्र मजूर किये गये। इस की चींटी की गति से शिक्षित शहरी युवकों को रोजगार प्रदान की योजनाएं चल रही हैं। इसमें ऐसी मंद गति होते हुए

यह अभिभाषण एक खोखला आशावाद पेश करता है और दावा करता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कुल 7 लाख लाभभोगियों को इस योजना में शामिल कर लिया जायेगा। अब तक की गति और इसम्ल परफारमेंस को देखते हुए जो आशावाद जाहिर किया गया है उस पर भरोसा नहीं होता। कुल मिला कर चाहे देश की आन्तरिक स्थिति को विश्वासपूर्ण बनाने का मामला है, जिसको श्री जगमोहन जी एक विजिलेंस की बात कह रहे थे कि एक नजर रखने की बात आन्तरिक स्थिति पर, उसमें हम पूरी तरह से नाकामयाब हुए हैं। हम देश में अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने की दृष्टि से नाकामयाब हुए हैं। श्री जगमोहन जी से पूरी तरह सहमत हूं कि हमने जो विकास की दिशा पकड़ी है, विकास का जो दर्शन अपनाया है वह विकास की दिशा और विकास का दर्शन हम को किस ओर ले जा रहा है इसका परिणाम शायद हम नहीं हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। देश अपनी सम्प्रभुता और स्वायत्ता तो गवायेगा ही उसके साथ यह देश एक आर्थिक पिछलग्गू बन जायेगा विकसित देशों का। कहा जा रहा है कि हम अब समझदार हो गये हैं, सियाने हो गये हैं और जो नेहरुवीयन मॉडल था उसकी गलतियां अब हमारी समझ में आ गई है। विचित्र बात है कि जिस पार्टी ने अभी तक आर्थिक विकास की एक दिशा पकड़ रखी थी उस पार्टी के प्रधान मंत्री ने जुलाई 1991 से विकास का एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया है और उसको वह आर्थिक उदारीकरण की दिशा कह रहे हैं। वास्तव में वह आर्थिक उदारीकरण नहीं है उधारीकरण है। देश को उधार और कर्ज के नीचे दबा देने वाली दिशा पकड़ रखी है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार, जनजाति पर होने वाले अत्याचार, इनका जिक्र नहीं किया गया। अगर जिक्र किया भी गया है तो एक चलता सा सरसरी जिक्र किया गया है। और इनकी रोकथाम के लिये कितने कारगर उपाय सरकार करने जा रही है, इसका कोई चित्र इस अभिभाषण में दिखायी नहीं पड़ता है। अभी जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि दुबारा बढ़ाने का एक संकल्प इसी सदन में पास किया गया। दोनों सदनों ने अभी कुछ दिन पूर्व एक रेज्योलूशन सर्वसम्मति से पास किया, जिसमें हमने बहुत कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन प्रस्ताव पास कर देना एक बात है और उसके अनुरूप नीति बनाना और उसको कार्यान्वित करने की इच्छा शक्ति होना यह दूसरी बात है और यदि यह नहीं होता तो इस प्रकार के प्रस्ताव खोखले प्रस्ताव रह जाते हैं। मसलन कश्मीरी पंडित अपने वतन में, अपने घरों में कब तक लौट पायेंगे, क्या इसका कोई एक समयबद्ध कार्यक्रम सरकार के पास है? इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है।

दूसरी बात, राष्ट्रपति शासन की अवधि जम्मू और कश्मीर में बढ़ायी गयी। यह जो अवधि बढ़ायी गयी, इस समय का उपयोग सरकार किस रूप में करने जा रही है? क्या वह आतंकवादी तत्वों और उग्रवादी तत्वों से निपटने की अपनी मौजूदा दुमुंही नीति पर ही चलने वाली है या उनको अधिक कारगर, अधिक असरदार बनाने वाली है? तीसरी बात यह है कि क्या किसी प्रकार का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वहां शुरु होने वाला है या नहीं? आखिर वहां के लोगों को अपने काम-काज के लिये एडमिनिस्ट्रेशन से वास्ता पड़ता है लेकिन वहां एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज है नहीं, इससे लोगों के दुःख दर्द में दुगुनी वृद्धि हो जाती है। आज वहां स्थिति क्या है? वहां कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं, कोई पोलिटिकल प्रोसेस नहीं। इन दोनों प्रोसेसेज के अभाव में एक तरफ हमारे सुरक्षा बल हैं और दूसरी तरफ मिलिटेंट्स हैं। सुरक्षा-बल और मिलिटेंट्स आपस में आमने सामने हो गये हैं और बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं, बीच में पोलिटिकल

प्रोसेस नहीं। इसका परिणाम यह है कि पाकिस्तान दुनिया में यह दुहाई दे रहा है, उसको शोर करने का मौका मिला है कि भारत मानव अधिकारों का हनन कर रहा है। वह पाकिस्तान जिसने अपने यहां पर लोकतन्त्र का अनुभव नहीं प्राप्त किया, जिसने अपने यहां पर लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रखा है वह हमको मानवाधिकारों की सीख देता है। इसको हम अपनी सरकार की विफलता मानेंगे कि दुनिया के सामने पाकिस्तान अपने झूठे प्रचार से अपने केस को पेश कर सका और हम लोग अपने देश की छवि दुनिया के सामने पेश करने में विफल रहे हैं। क्या हमारे प्रचार तंत्र में कमी है ? क्या हममें इच्छा शक्ति की कमी है ? क्या हमारा मुल्क दो टूक जवाब नहीं दे सकता ? क्या चीज है जिस वजह से दुनिया के देशों के सामने पाकिस्तान अपनी बात को ज्यादा दुहायी देकर पेश कर रहा है और हमारी बात हल्की पड़ रही है ?

उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जब प्रारम्भ होता है तो वह जो चित्र प्रस्तुत करता है वह आशा की किरण देने वाला होता है, उभरते हुए आशावाद का चित्र प्रस्तुत करता है, राष्ट्रीय स्तर पर हमने ऊर्जा अर्जित कर ली है, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपने विश्वास को फिर से प्राप्त कर लिया है, यह बात कहते हैं। लेकिन जल्दी ही राष्ट्रपति जी को भी इस बात का एहसास होता है कि वे जो कुछ बातें कह रहे हैं ये असलियत से मेल नहीं खाती। इसलिये एक वाक्य को छोड़कर तुरन्त वे कहते हैं "लेकिन हमने अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उन्हें प्राप्त करने के लिये हमें अभी बहुत कुछ करना है।"

यह एक प्रकार से आत्म-संवीकृति है। यह एक प्रकार से एडमिशन है, स्वीकृति है कि हमने अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं, उन लक्ष्यों से हम बहुत पीछे हैं। चाहे वह विकास दर के मामले में हो, चाहे वह उद्योगों को गति देने के मामले में हो, चाहे वह आम आदमी को जीवन की बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने की दृष्टि से हो, चाहे वह देश में एक सुख-शान्ति का माहौल पैदा करने की दृष्टि से हो, चाहे वह आम आदमी को शान्ति और सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से हो, चाहे वह इस देश में जो बड़े पैमाने पर निरक्षरता है उसको दूर करने की दृष्टि से हो, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिक बनाने की दृष्टि से हो, चाहे वह फैमली प्लानिंग के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, चाहे निरक्षरता को दूर करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से हो, इन सभी मामलों में हम अपने लक्ष्यों से बहुत पीछे रह गये हैं। इसलिए न चाहते हुए भी ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जी के मन पर भी उस सत्यता का, सच्चाई का और उस वास्तविकता का बोझ जरूर था और इसी कारण जब वह एक ओर आशा की किरण देखने की बात करते हैं, उभरते हुए आशावाद की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने की बात करते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विश्वास को फिर से प्राप्त करने की बात करते हैं वे अगले ही वाक्य में आत्म स्वीकृति की मुद्रा में यह भी कहते हैं कि हमने जो अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किये थे उन्हें हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिये हमें बहुत कुछ करना है। उप सभाध्यक्ष महोदय, यह पूरे का पूरा अभिभाषण निराशाजनक अभिभाषण है। यह देश को उत्साहित नहीं करता, देश को प्रेरित नहीं करता, देश को दिशा नहीं देता। हमें यह नहीं बताता कि हम अपने आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए रुकी हुई गति को किस तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। जो एक ठहराव आ गया है, उससे कैसे निकल सकेंगे। तीसरी दुनियां के देशों में जो हमने एक बार नेतृत्व प्राप्त किया था, जो हमारे हाथ से फिसल गया है

आज हम तीसरी दुनियां के देशों के नेतृत्व की स्थिति में नहीं रह गये हैं, उसको कैसे प्राप्त कर सकेंगे और हम कश्मीर की हरी-भरी वादी में सुख और शान्ति का वायु-मण्डल कब निर्मित कर पाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब इस अभिभाषण से नहीं मिलता है। इसलिए यह अभिभाषण देश को उत्साहित करने के बजाए निराश अधिक करता है। यह एक निराशाजनक भाषण है।

SPECIAL MENTIONS

Deduction of Salary of Postal Employees for Strike Period

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, at the fag end of this week, I rise to raise an important issue regarding the deduction of salary of Postal employees for strike period.

The deduction of salary is nothing but a follow-up of the strike conducted by the employees of the Postal Department during the month of December, 1993. The charter of demands of the Postal employees was submitted on the 12th April, 1993. The formal talks with the labour union leaders, however, took place only on 8th July, 1993. The strike-notice was issued by the Postal employees on the 20th November, 1993, after they had failed to obtain an assurance from the Government of India on many vital issues. The strike commenced on 7th December, 1993.

The Government of India, then, tried its best to divide the labour-force and weaken its bargaining power. It applied its old strategy and branded some workers as loyal and some others as disloyal. The Government had conveniently forgotten that strike was one of the lawful actions of the working force. The strike was called off by the Postal employees on the 10th December, 1993, on certain proposals being agreed with and on the assurance given by the Department.

Then, the Minister for Communications made a statement *suo motu* in this august House. Speaking on that statement, I said : "In Assam, the employees of the Postal partment had struck work for 40 days on the issue of Special Duty Allowance. Later it was agreed that the strike period would be treated as leave. The hon. Chief Minister of Assam had intervened in the matter and it was decided to treat this period as leave. I want an assurance from the hon. Minister it is not 40 days, it is actually four days that this would be treated as leave permitted by the Department."

I had made this request at that time. I had made a special request to the Communications Minister to treat the ptsoal employees as on family and also requested him not to victimise them. But I regret to inform this august House that in spite of repeated assurances from the Government, the Postal Department had deducted the salary for the strike period, that is, for four days. The amount deducted from the salaries of the employees is between Rs. 500 and Rs. 700. Usually, once the strike is withdrawn and an agreement is reached between the Government and the labour union the first thing the Government has to do is to treat the strike period as leave period legally I therefore, request the Minister of Communications through you, Sir, to direct the postal department to repay the amount deducted from the salaries of the postal employees and consider the strike period as leave, as was done by his predecessor. I hope the Government would render justice to the working community. With these words, I conclude.

SHRI M.A. BABY (Kerala) : I do not want to take much time of the House. The demand made by my colleague is quite genuine. In a democratic and civilised society, the Government should not behave towards its own employees with an attitude of vindictiveness. Therefore, Sir, through you, I would like to request the Government to consider the most legitimate demand that my colleague has raised to consider the four day's period as leave and to reimburse the salary that has been deducted.

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa) : Mr. Vice-Chairman, I fully support the Special Mention of Mr. Virumbi and I think that the Minister of Communications should pass orders to pay the salary of four days in order to oavoid future strike in the postal department This is my request.